अंक 32 । संख्या 4 । अप्रैल 2025

सर्वे भवन्तु सुखिनः

# मानव अधिकार

## न्यूज़लेटर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का मासिक प्रकाशन

### रिपोर्ट

वैश्विक दक्षिण के एनएचआरआई के लिए एनएचआरसी आईटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम

### आलेख

- भारत में मानव अधिकारः अवधारणा एवं विमर्श
- भारत में महिलाओं और लड़कियों के लिए कानूनी और नीतिगत हस्तक्षेपः मानव अधिकार परिप्रेक्ष्य
- जल सुरक्षा एवं मानव अधिकारः समानता स्थिरता और गरिमापूर्ण भविष्य का निर्माण

# मानव अधिकार
## न्यूज़लेटर

अंक 32 । संख्या 3 । मार्च 2025

**राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग**

**अध्यक्ष**
न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन

**सदस्य**
न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन षडंगी
श्रीमती विजया भारती सयानी
श्री प्रियंक कानूनगो

**महासचिव**
श्री भरत लाल

**संपादक**
जैमिनि कुमार श्रीवास्तव
उपनिदेशक (मीडिया एवं संचार), एनएचआरसी

यह सामग्री आयोग की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर भी उपलब्ध है। गैर-सरकारी तथा अन्य संगठन आयोग के मानव अधिकार न्यूज़लेटर में प्रकाशित लेखों के व्यापक प्रसार हेतु आयोग का आभार मानते हुए पुनः प्रकाशित कर सकते हैं।

# विषय-वस्तु

**मासिक विवरण**
3 महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी की डेस्क से

**रिपोर्ट**
5 वैश्विक दक्षिण के एनएचआरआई के लिए एनएचआरसी आईटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम

**आलेख**
9 भारत में मानव अधिकारः अवधारणा एवं विमर्श (13 मार्च 2025 को पैलेस-नेशनस, जिनेवा में आयोजित सेमिनार में न्यायामूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन के संबोधन के अंश)
11 भारत में महिलाओं और लड़कियों के लिए कानूनी और नीतिगत हस्तक्षेपः मानव अधिकार परिप्रेक्ष - डॉ किरण बेदी
12 जल सुरक्षा एवं मानव अधिकारः समानता स्थिरता और गरिमापूर्ण भविष्य का निर्माण - श्री भरत लाल एवं सुश्री स्वर्णा सिंह

**महत्वपूर्ण हस्तक्षेप**
14 स्वतः संज्ञान
15 राहत के लिए संस्तुतियां
16 पीड़ितों को राहत का भुगतान
16 केस स्टडी
17 घटना स्थल पूछताछ

**क्षेत्रीय दौरे**
18 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों के दौरे
18 विशेष प्रतिवेदक एवं विशेष मॉनीटरस

**क्षमता निर्माण**
19 ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप
21 कार्यशालाएं
22 ज्ञानार्जन दौरे

**पुरस्कार**
23 एनएचआरसी, भारत लघु फिल्म पुरस्कार वितरण

**अन्तर राष्ट्रीय स्तर पर एनएचआरसी, भारत**
25 क्षेत्रीय सहयोग- एपीएफ
25 गनहरी ब्यूरो
26 गनहरी महासभा
29 जेंडर समानता पर गनहरी वार्षिक सम्मेलन
27 एनएचआरआई का राष्ट्रमंडल मंच (सी. एफ. एन. एच. आर. आई.)
27 भारत में मानव अधिकार- पाठयक्रम और चर्चा पर संगोष्ठी
27 उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकों
28 मान्यता संबंधी उपसमिति (एस. सी. ए.) के साथ बातचीत
29 जिनेवा में यू.एन.एच.आर.सी. का 58वां सत्र
30 जिनेवा में उच्च स्तरीय नीति वार्ता में महासचिव का संबोधन
31 एनएचआरसी, भारत प्रतिनिधि मंडल का दौरा

31 **राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार**
32 **संक्षेप में समाचार**
39 **आगामी कार्यक्रम**
39 **मार्च, 2025 में शिकायतें**

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष न्यायामूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, आयोग में महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों एवं स्टाफ को संबोधित करते हुए।

www.nhrc.nic.in
@India_NHRC

RNI No. 59340/94

# मासिक विवरण

## महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी की डेस्क से

मार्च, 2025 का माह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत द्वारा मानव अधिकारों के मुद्दे को संवर्धित करने और उनके संरक्षण हेतु ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई कई महत्वपूर्ण पहलों का गवाह बना। एनएचआरसी, भारत ने व्यक्तियों के अधिकारों को संवर्धित संरक्षित करने हेतु के मार्च, 2025 के दौरान कई प्रभावशाली गतिविधियाँ आयोजित की।

इस माह में आयोग की वैश्विक पहुंच और सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से कई अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम हुए। एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन के साथ, मैंने पैलेस डेस नेशंस, जिनेवा में आयोजित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय बैठकों में भाग लिया। इनमें राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) के एशिया प्रशांत मंच (एपीएफ), राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के राष्ट्रमंडल मंच (सीएचएनएचआरआई), राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन (गनहरी) की आम सभा और गनहरी ब्यूरो, जिसका एनएचआरसी, भारत सदस्य है, के सत्र शामिल थे। यात्रा के दौरान, मुझे गनहरी वित्त आयोग की रिपोर्ट, इसके अध्यक्ष के रूप में, गनहरी गवर्नेंस ब्यूरो और महासभा के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिला। रिपोर्ट में बजट, व्यय अवलोकन, शुल्क माफी, परियोजना-आधारित वित्त पोषण, धन जुटाने की रणनीति, आरक्षित स्थिति, लेखा परीक्षा रिपोर्ट आदि सहित प्रमुख वित्तीय विवरण शामिल थे।

> एनएचआरसी, भारत गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज और मानव अधिकार संरक्षकों के साथ मिलकर काम करना जारी रखता है, तथा मानव अधिकारों को संवर्धित एवं संरक्षित करने में एक मजबूत साझेदारी बनाए रखता है।

माह के उल्लेखनीय उपक्रमों में से एक 13 मार्च, 2025 को पैलेस डेस नेशंस, जिनेवा में आयोजित 'भारत में मानव अधिकार : पाठ्यक्रम और विमर्श' शीर्षक पर आधारित सेमिनार था। यह कार्यक्रम जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के चल रहे सत्र के साथ हुआ और इस कार्यक्रम में मानव अधिकारों और हालिया घटनाक्रमों में भारत के काम को उजागर करने के लिए एक सार्थक मंच के रूप में कार्य किया। सेमिनार में एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन द्वारा मुख्य भाषण दिया गया और विभिन्न देशों के स्थायी प्रतिनिधियों और राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई), संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों, मानव अधिकार संरक्षकों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने सक्रिय भागीदारी दी। सत्र का संचालन जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत अरिंदम बागची ने किया।

विचार-विमर्श में समानता और न्याय के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता, इसके संविधान की नैतिक नींव और शासन की इसकी मजबूत संघीय प्रणाली पर प्रकाश डाला गया। भारत के जीवंत, बहु-धार्मिक लोकतंत्र के साथ-साथ महिलाओं द्वारा निभाई जा रही प्रमुख नेतृत्व भूमिकाओं पर विशेष जोर दिया गया। सत्र में संघीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर भारत के मानव अधिकार संस्थानों की क्षमता पर भी जोर दिया गया, जो एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस सेमिनार ने संयुक्त राष्ट्र के भीतर महत्वपूर्ण रुचि पैदा की और यह एक शानदार सफलता थी। न्यूज़लैटर के इस संस्करण में इन घटनाओं पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट दी गई है।

भारत के दर्शन 'वसुधैव कुटुम्बकम' जिसका अर्थ है कि पूरा विश्व एक परिवार है, के अनुरूप देश ने वैश्विक दक्षिण के देशों की लगातार मदद की है। एनएचआरसी भारत ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में वैश्विक दक्षिण में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से क्षमता निर्माण और अनुभव साझा करने के कार्यक्रम शुरू किए हैं। अफ्रीका, पूर्वी एशिया, मध्य एशिया

और प्रशांत क्षेत्र के 11 देशों के 35 वरिष्ठ एनएचआरआई अधिकारियों के लिए आयोजित तीसरे छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली।

एनएचआरसी, भारत मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में एक मजबूत साझेदारी बनाए रखते हुए गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज और मानव अधिकार संरक्षकों के साथ मिलकर काम करना जारी रखता है। मैंने जिनेवा में यूएनएचआरसी सत्र के दौरान अपने पहले से रिकॉर्ड किए गए बयान में इस स्थायी साझेदारी पर प्रकाश डाला, जहां मैंने 'मानव अधिकार संरक्षकों' के विषय को संबोधित किया।

मार्च में दो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी होते हैं: 8 मार्च को महिला दिवस और 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। एनएचआरसी, भारत परामर्श, सलाह और संवेदनशीलता कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के अपने दृष्टिकोण पर अडिग रहा है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में, आयोग ने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसे अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन, सदस्यों, न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन षडंगी और श्रीमती विजया भारती सयानी और वरिष्ठ अधिकारियों ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम में भारतीय समाज को स्वरूप देने में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया गया और उनसे प्रेरणा ली गई। भारत कई उल्लेखनीय महिला शासकों, सुधारकों और नेताओं का स्थान रहा है जिन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए भारतीय लोकाचार को स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह लंबे समय से महिला अधिकारों का एक मजबूत समर्थक रहा है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) को आकार देने में सुश्री हंसा मेहता और लक्ष्मी मेनन के योगदान को कोई नहीं भूल सकता। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में, सुश्री मेहता ने मसौदा समिति पर "सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं" की जगह "सभी पुरूष स्वतंत्र और समान हैं" रखने पर जोर दिया। इस तरह यूडीएचआर की भाषा जेंडर के प्रति अधिक संवेदनशील हो गई। सुश्री लक्ष्मी मेनन ने घोषणा की प्रस्तावना में "पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकार" पंक्ति को शामिल करने का तर्क दिया।

जल उपलब्धता केवल आवश्यकता ही नहीं बल्कि एक मौलिक मानव अधिकार है। जल सुरक्षा सुनिश्चित करना सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कमी सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा डालती है। जल पर उच्च-स्तरीय नीतिगत संवाद समय की मांग है और जिनेवा में इंडिया वाटर फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'घटते ग्लेशियरों की रक्षा के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देना' जैसे संवादों ने विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान किया, जिसमें मैंने जल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए चुनौतियों और कार्यों के बारे में ऑनलाइन एक मुख्य भाषण दिया, जिसके लिए एक ठोस वैश्विक प्रतिक्रिया की भी आवश्यकता है क्योंकि बढ़ते तापमान का जल उपलब्धता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

> "जल की उपलब्धता न केवल एक आवश्यकता है, बल्कि एक मौलिक मानव अधिकार भी है। जल सुरक्षा सुनिश्चित करना सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जल की कमी सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा डालती है।"

न्यूज़लैटर के इस संस्करण में 'भारत में मानव अधिकार : पाठ्यक्रम और विमर्श', 'भारत में महिलाओं और लड़कियों के लिए कानूनी और नीतिगत हस्तक्षेप: एक मानव अधिकार परिप्रेक्ष्य' और 'जल सुरक्षा और मानव अधिकार : समानता, स्थिरता और गरिमा का भविष्य बनाना' शीर्षक से तीन व्यावहारिक लेख भी शामिल हैं। आशा है कि ये जानकारीपूर्ण लेख पढ़ने में रोचक होंगे।

आयोग ने लघु फिल्म प्रतियोगिता के अपने दसवें संस्करण के सात विजेताओं को भी सम्मानित किया। 303 प्रविष्टियों की रिकॉर्ड संख्या मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता को दर्शाती है। पुरस्कार विजेता फिल्में आयोग की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाती हैं और सरकारी विभागों, प्रशिक्षण और शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ नागरिक समाज द्वारा मानव अधिकार जागरूकता उद्देश्यों के लिए स्क्रीनिंग के लिए खुली हैं।

न्यूज़लैटर के इस संस्करण मे आपको आयोग द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों और गतिविधियों पर रिपोर्ट भी पढने को मिलेगी जिसमें दो सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम भी शामिल है। हमें आशा है कि आपको यह एक ज्ञानवर्धक और आकर्षक पठन लगेगा।

**[ भरत लाल ]**
महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से वैश्विक दक्षिण में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) को मजबूत करने के लिए क्षमता निर्माण और अनुभव साझा करने के कार्यक्रम शुरू किए हैं। अफ्रीका, पूर्वी एशिया, मध्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 11 देशों के 35 वरिष्ठ एनएचआरआई अधिकारियों के लिए डिज़ाइन किए गए छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे संस्करण को अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली।

# वैश्विक दक्षिण के एनएचआरआई के लिए एनएचआरसी आईटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम

3 से 8 मार्च, 2025 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) के वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए मानव अधिकारों पर तीसरा आईटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया। छह दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्घाटन एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामसुब्रमण्यम ने सदस्यों, न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन षडंगी, श्रीमती विजया भारती सयानी और महासचिव, श्री भरत लाल की उपस्थिति में किया। कार्यक्रम में मेडागास्कर, युगांडा, तिमोर लेस्ते, डीआर कांगो, टोगो, माली, नाइजीरिया, मिस्र, तंजानिया, बुरुंडी और तुर्कमेनिस्तान के 11 एनएचआरआई के 35 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया।

6 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं में एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, सदस्य, महासचिव, श्री वी.के. पॉल, सदस्य, नीति आयोग और श्री राजीव कुमार, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, श्री युगल किशोर जोशी, नीति आयोग में मिशन निदेशक और राजदूत अशोक कुमार मुखर्जी, संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व पीआर, श्री क्रिस गैरोवे, अर्थशास्त्री और विकास समन्वयक, संयुक्त राष्ट्र, श्री मनोज यादव, पूर्व महानिदेशक (आई), श्री सुरजीत डे, पूर्व रजिस्ट्रार (विधि) और श्रीमती अनीता सिन्हा और श्री डी.के. निम, एनएचआरसी के पूर्व संयुक्त सचिव शामिल थे। कार्यक्रम को इसमे भाग लेने वाले विभिन्न एनएचआरआई के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा अनुभवों को साझा करके भी समृद्ध किया गया।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन वैश्विक दक्षिण के एनएचआरआई के लिए एनएचआरसी आईटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, साथ में उपस्थित आयोग के सदस्यगण न्यायमूर्ति डॉ बिद्युत रंजन षडंगी, श्रीमती विजया भारती सयानी तथा महासचिव श्री भरत लाल

**न्यायामूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन**
अध्यक्ष एनएचआरसी, भारत

**श्री वी. के. पॉल**
सदस्य (स्वास्थ्य) नीति आयोग

**न्यायामूर्ति डॉ बिद्युत रंजन षडंगी**
सदस्य, एनएचआरसी, भारत

**श्री भरत लाल**
महासचिव एनएचआरसी, भारत

उद्घाटन के बाद, पहले दिन के कार्यक्रम में चार सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 'मानव अधिकारों का प्रवर्तन: नए युग की चुनौतियां' विषय पर एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी रामसुब्रमण्यन ने संबोधित किया, 'किफायती गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य देखभाल तक सार्वभौमिक पहुंच' श्री वीके पॉल, सदस्य, नीति आयोग ने, 'लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव: मानव अधिकारों के लिए एक पूर्वापेक्षा' भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने और 'मानव अधिकार ढांचे और सतत विकास लक्ष्यों का अभिसरण' अर्थशास्त्री और संयुक्त राष्ट्र के विकास समन्वयक श्री क्रिस गैरोवे ने संबोधित किया।

दूसरे दिन, प्रतिभागियों के लिए एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने 'भारत में मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए संस्थागत ढांचे' पर पारस्परिक सत्र आयोजित किए। उन्होंने 'सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को बढ़ावा देना: जीवन की गुणवत्ता और सम्मान', 'मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों का प्रबंधन और निवारण' विषय पर एनएचआरसी, भारत के पूर्व रजिस्ट्रार (विधि) श्री सुरजीत डे द्वारा तथा 'अनुसंधान, प्रशिक्षण, जनसंपर्क और समर्थन के प्रति एनएचआरसी का दृष्टिकोण' विषय पर एनएचआरसी, भारत के पूर्व संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र कुमार निम द्वारा आयोजित सत्र को भी संबोधित किया।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तीसरे दिन, तीन सत्र आयोजित किए गए, जिनमें एनएचआरसी, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन सारंगी द्वारा 'भारतीय न्यायशास्त्र में मानव अधिकारों का विकास', एनएचआरसी, भारत के विशेष मॉनिटर डॉ मुक्तेश चंदर द्वारा 'साइबरस्पेस और मानव अधिकार : साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना' और एक्शन एड एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक श्री संदीप चाचरा द्वारा 'मानव अधिकारों को बढ़ावा देने में मानव संसाधन विकास, गैर सरकारी संगठनों और सीएसओ के बीच सहयोग' शामिल थे।

चौथे दिन, कवर किए गए सत्रों में श्रीमती अनीता सिन्हा, पूर्व संयुक्त सचिव, एनएचआरसी, भारत द्वारा 'एनएचआरसी और अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच, सहयोग और साझेदारी', श्री युगल किशोर, मिशन निदेशक, नीति आयोग द्वारा 'मिशन लाइफ: स्थिरता और मानव अधिकार ' और श्री अशोक कुमार मुखर्जी, संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि द्वारा 'संयुक्त राष्ट्र और मानव अधिकार ढांचा, तंत्र और प्रक्रियाएं' शामिल थे।

**श्री राजीव कुमार**
भारत के भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

**श्री पी. कुमारम**
सचिव विदेश मंत्रालय

**श्री मनोज यादव**
भूतपूर्व महानिदेशक (अन्वेषण), एनएचआरसी, भारत

**श्री सुरजीत डे**
भूतपूर्व रजिस्ट्रार (विधि), एनएचआरसी, भारत

**श्रीमती अनिता सिन्हा**
भूतपूर्व संयुक्त सचिव, एनएचआरसी, भारत

**श्री अशोक कुमार मुखर्जी**
भूतपूर्व भारतीय राजदूत,
यू. एन. न्यूयोर्क

**श्री देवेन्द्र कुमार निम**
भूतपूर्व संयुक्त सचिव,
एनएचआरसी, भारत

**डॉ मुक्तेश चन्द्र**
विशेष मॉनीटर,
एनएचआरसी, भारत

**श्री संदीप चाचरा**
कार्यकारी निदेशक
एक्शन ऐड एसोसिएशन

**श्री क्रिस गेरोवे**
इक्नॉमिस्ट एडं डवलेपमेंट
कार्डिनेटर, यू. एन.

पांचवें दिन, विदेश मंत्रालय के विशेष सचिव श्री पी. कुमारम ने भारत और वैश्विक दक्षिण: विकासात्मक सहयोग और भागीदारी' पर एक सत्र को संबोधित किया और श्री मनोज यादव, पूर्व महानिदेशक (अन्वेषण), एनएचआरसी, भारत ने 'मानव अधिकार उल्लंघन: जांच, घटनास्थल पर पूछताछ और रिपोर्टों का विश्लेषण' के बारे में बात की।

समापन सत्र में, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामसुब्रमण्यन ने सभी प्रतिभागियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान का मुक्त आदान-प्रदान एक बेहतर दुनिया की नींव है, उन्होंने कहा कि मानवता में पृथ्वी पर एक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने की शक्ति है। ऋग्वेद का हवाला देते हुए, उन्होंने सभी दिशाओं से महान विचारों का स्वागत करने के महत्व को रेखांकित किया और दोहराया कि सभी मानव प्रयासों का अंतिम उद्देश्य सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

उन्होंने मानवता के सार्वभौमिक सार पर विचार किया, मानव जाति की एकता और सोने की विलक्षणता के बीच समानताएं दर्शाते हुए बताया कि जिस प्रकार अनेक रत्न जड़े होने पर भी सोने की अपनी विशिष्टता होती है उसी प्रकार मानवता एवं मानव जाति की एकता का तत्व भी सार्वभौमिक है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को याद दिलाया कि सबसे बड़ा गुण एक अच्छा इंसान बनना है। उद्घाटन सत्र में अपनी टिप्पणी दोहराते हुए, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष ने कहा कि आईटीईसी जैसे मंच एक-दूसरे की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और मानव अधिकार मूल्यों को साझा करने और आदान-प्रदान करने, लगातार उभरती मानव अधिकार चुनौतियों से निपटने के सर्वोत्तम तरीकों पर विचार करने और खोजने का अवसर प्रदान करते हैं।

एनएचआरसी, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन षडंगी ने मानव अधिकार वकालत के प्रति प्रतिभागियों के समर्पण को स्वीकार किया और सार्थक बदलाव के लिए उनके उत्साह और

▶ एनएचआरसी आईटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र का दृश्य

प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने दुनिया भर के एनएचआरआई के साथ भविष्य के सहयोग को मजबूत करने के लिए एनएचआरसी भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। "वसुधैव कुटुम्बकम" (विश्व एक परिवार है) के दर्शन का हवाला देते हुए, उन्होंने मानव अधिकारों संरक्षण एवं संवर्धन में वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने के एनएचआरसी के दृष्टिकोण पर जोर दिया।

एनएचआरसी, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने सभी प्रतिभागियों के बहुमूल्य योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया, उनकी भागीदारी और अंतर्दृष्टि साझा करने की इच्छा को मान्यता दी। उन्होंने निरंतर सीखने और सहयोग के लिए आयोग की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और सभी के लिए जेंडर समानता और मानव अधिकारों के महत्व को रेखांकित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

इससे पहले, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने सभी प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। उन्होंने वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला, उनके साझा मूल्यों और परस्पर सीखने के अवसरों पर जोर दिया। उन्होंने इस सहयोग को गहरा करने के लिए इच्छुक देशों के साथ संभावित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने पर भी चर्चा की। उल्लेखनीय रूप से, उन्होंने मजबूत शिकायत निवारण तंत्र और मानव अधिकार प्रवर्तन को और मजबूत करने के लिए उन्नत शिकायत निवारण प्रणाली सॉफ्टवेयर सहित अपने देशों में मानव अधिकारों को मजबूत करने में एनएचआरसी के ज्ञान और अनुभव की पेशकश की।

▶ एनएचआरसी आईटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का एक वर्ग

प्रतिभागियों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने के लिए प्रधान मंत्री संग्रहालय, हुमायूं का मकबरा, ताजमहल, दिल्ली हाट आदि जैसे प्रतिष्ठित स्थानों पर जाने का अवसर भी मिला।

एनएचआरसी, भारत के निदेशक, लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह, जो कि पाठ्यक्रम समन्वयक हैं, ने प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी और कार्यक्रम के दौरान ज्ञान के अमूल्य आदान-प्रदान की सराहना की। सह-पाठ्यक्रम समन्वयक, एसएसपी श्री विक्रम हरिमोहन मीना ने मानव अधिकार संरक्षण में कानून प्रवर्तन की भूमिका पर जोर दिया, तथा पुलिस और मानव अधिकार संगठनों के बीच अधिक तालमेल का समर्थन किया।

▶ एनएचआरसी, भारत और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एनएचआरसी आईटीईसी क्षमता निर्माण कार्यक्रम में वैश्विक दक्षिण के आठ एनएचआरआई के प्रतिभागियों के साथ

लेख

# भारत में मानव अधिकार: अवधारणा एवं विमर्श

(13 मार्च, 2025 को पैलेस डेस नेशंस, जिनेवा में आयोजित सेमिनार में न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम के संबोधन के अंश)

**- न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन**
अध्यक्ष, एनएचआरसी

13 मार्च, 2025 को, एनएचआरसी, भारत ने वार्षिक गनहरी सम्मेलन के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कई देशों के राजदूतों/स्थायी प्रतिनिधियों ने पैलेस डेस नेशंस, जिनेवा में आयोजित कार्यक्रम का समापन किया। कार्यक्रम की शुरुआत मेरे द्वारा "भारत में मानव अधिकार : अवधारणा और विमर्श" पर एक संक्षिप्त वार्ता से हुई, जिसके बाद प्रश्नोत्तर सत्र हुआ। दिए गए भाषण का सारांश निम्नलिखित है:

कल, यूएनडीपी प्रशासक ने वार्षिक गनहरी सम्मेलन 2025 के उच्च स्तरीय उद्घाटन के अवसर पर इस वर्ष के सम्मेलन के विषय "महिलाओं और लड़कियों के मानव अधिकार : लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और एनएचआरआई की भूमिका" के संदर्भ में एक वक्तव्य दिया। बयान में उन्होंने कहा: "कानूनी सुधारों ने भेदभावपूर्ण कानूनों को खत्म कर दिया है, संस्थाओं को मजबूत किया है और महिलाओं की दृश्यता और अवसर के प्रति प्रतिबद्धता को गहरा किया है। फिर भी, हम सभी जानते हैं कि प्रगति असमान, नाजुक और अक्सर उलटने योग्य है। वैश्विक स्तर पर, महिलाओं के पास अभी भी पुरुषों के कानूनी अधिकारों का केवल दो-तिहाई हिस्सा है। वर्तमान गति से, महिलाओं के लिए अत्यधिक गरीबी को खत्म करने में अतिरिक्त 137 साल लगेंगे।"

इसलिए, 'भारत इस चर्चा में कहां खड़ा है' वह सवाल है जिसे मैं अगले 15 से 20 मिनट में संबोधित करना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं कुछ प्रश्नोत्तर के लिए अवसर प्रदान करूं।

मैं इस चर्चा को 3 भागों में विभाजित करूंगा, पहला समाज की जटिलताओं का व्यापक दृष्टिकोण देना जो राष्ट्र-राज्य भारत का गठन करता है, दूसरा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित है कि कैसे भारतीय समाज ने प्राचीन काल में मानव अधिकारों विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों को महत्व दिया, और तीसरा भारत में महिला सशक्तिकरण के बारे में।

सबसे पहले, आइए हम अपने समाज की जटिलताओं को देखें:

जो लोग भारत से परिचित हैं वे जानते होंगे कि यह 1.4 अरब से अधिक आबादी वाला देश है, जो विश्व की 18% आबादी है, लेकिन जिसका क्षेत्रफल केवल 2.4% है। हमारे यहां दुनिया के 8 प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग हैं, जिनमें से 4 का जन्म भारत में हुआ था। हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म का जन्म यहां हुआ। हमारे यहां यहूदी, पारसी, ईसाई और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमारे यहां 1686 जातीय समूहों से संबंधित लोग हैं, जो 22 आधिकारिक भाषाएं और 1652 अन्य भाषाएं और बोलियां बोलते हैं। हमारे लोग खुद को 3800 से अधिक जातियों और समुदायों से संबंधित बताते हैं। जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, तब लगभग 647 या उससे अधिक रियासतें थीं, जिनमें से प्रत्येक अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य मानती थी।

जब औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता की पुकार अपने चरम पर पहुंच गई 1888 में सर जॉन स्ट्रेची ने लिखा था कि अतीत में कोई भारतीय राष्ट्र नहीं था और भविष्य में कभी भी कोई राष्ट्र नहीं होगा।

लेकिन जब 20वीं सदी की शुरुआत में यह स्पष्ट हो गया कि भारत के लोग एकजुट होकर स्वतंत्रता की मांग कर सकते हैं, तो तथाकथित विद्वानों ने एक अलग राग अलापना शुरू कर दिया। कलकत्ता के बिशप श्री वेल्डन ने टिप्पणी की कि जिस क्षण आखिरी ब्रिटिश सैनिक बॉम्बे या कराची से बाहर निकलेगा, भारत विरोधी नस्लीय और धार्मिक ताकतों का मैदान बन जाएगा।

1931 में विंस्टन चर्चिल ने भविष्यवाणी की थी कि अगर ब्रिटिश सेना ने हमला किया, तो उनके द्वारा बनाई गई सार्वजनिक सेवाओं का पूरा दायरा- न्यायिक, चिकित्सा, रेलवे और सार्वजनिक कार्य विभाग नष्ट हो जाएंगे और भारत सदियों से चली आ रही बर्बरता और मध्य युग की वंचना में तेजी से वापस चला जाएगा।

लेकिन भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। यह छोटे राष्ट्रों में नहीं टूटा। यह मध्य युग में वापस नहीं गया और बर्बरता में वापस नहीं गया। इस देश के साधारण लोगों द्वारा हर प्रलय की भविष्यवाणियों को झूठा साबित करने पर आश्चर्यचकित होकर, एक ब्रिटिश पत्रकार, डॉन टेलर ने 1969 में टिप्पणी की:

“जब कोई इस विशाल देश को देखता है, जिसमें कई विविधताएँ और परस्पर विरोधी धर्म हैं, तो यह अविश्वसनीय लगता है कि कभी एक राष्ट्र उभर सकता है। इस देश को मन में समेटना भी मुश्किल है- महान हिमालय, सूरज की तपिश से झुलसा हुआ और भयंकर मानसून की बारिश से तबाह हुआ विस्तृत सिंधु गंगा का मैदान, पूर्व का हरा-भरा बाढ़ग्रस्त डेल्टा, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसे महान शहर। यह अक्सर एक देश की तरह नहीं लगता। और फिर भी भारत के बारे में एक लचीलापन है जो अस्तित्व का आश्वासन लगता है। कुछ ऐसा है जिसे केवल भारतीय भावना के रूप में वर्णित किया जा सकता है।”

दूसरे भाग पर आते हुए, आइए अब हम इस बात का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य लें कि प्राचीन काल में भारतीय समाज मानव अधिकारों को कैसे महत्व देता था।

भारत की वैदिक परंपरा में, हमारे पास बहुत ही प्रमुख महिला विद्वान रही हैं। ऋग्वेद में रोमासा, लोपामुद्रा, अपाला, कद्रू, विश्ववारा, घोषा, जुहू, वागम्भरीनी, पौलोमी, यमी, इंद्राणी, सावित्री और देवजामी का उल्लेख है। सामवेद में नोधा, आकृतशताभाशा, सिक्तनिवावारी और गौपायन को जोड़ा गया है।

तमिल भाषा में, दूसरी से तीसरी शताब्दी के संगम साहित्य में कम से कम 27 महिला कवियों (कवयित्रियों) को देखा गया, जिससे पता चलता है कि प्राचीन भारत में साहित्य की दुनिया में महिलाओं का स्थान था। इसी तरह, पाली भाषा में महिला कवियों में से अधिकांश बौद्ध भिक्षुणियाँ थीं। उनके कार्यों को सामूहिक रूप से "थेरीकथा" कहा जाता था। शब्द "थेरी" भिक्षुओं के लिए स्त्रीलिंग शब्द है और "थेरार" पुरुष समकक्ष को दर्शाता है।

जिस तरह भारत की सभ्यता का इतिहास प्राचीन है, उसी तरह भारत में मानव अधिकारों का इतिहास भी सदियों पुराना है।

"न्याय तक पहुँच" एक ऐसी पुकार है जिसे हम इन दिनों दुनिया भर में सुनते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पुस्तक 3, अध्याय 20, श्लोक 22 से पता चलता है कि निःशुल्क या निशुल्क कानूनी सेवाओं की व्यवस्था थी। श्लोक में कहा गया है कि न्यायाधीश स्वयं देवताओं, ब्राह्मणों, तपस्वियों, महिलाओं, नाबालिगों, बूढ़ों, बीमारों और असहाय लोगों के मामलों की देखभाल करेंगे, भले ही वे अदालत का दरवाजा न खटखटाएं। देवताओं, ब्राह्मणों, तपस्वियों, महिलाओं, नाबालिगों, वृद्धों, रोगियों और असहाय प्राणियों से संबंधित ऐसे लेन-देन, यद्यपि शिकायत नहीं किए जाएंगे, न्यायाधीशों द्वारा स्वयं निपटाए जाएंगे; और उपरोक्त जैसे लेन-देन में समय, स्थान या कब्जे के कारण बहाने नहीं बनाए जाएंगे।

पुस्तक 4 पूरी तरह से आपराधिक न्यायशास्त्र के प्रशासन के लिए समर्पित है। पुस्तक 4 के अध्याय 8 के श्लोक 5 और 6 में कहा गया है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि अपराध का पता कुछ समय बाद चलता है तो उचित जांच करने में कठिनाई होती है। अपराध के तीन दिन बाद किसी भी संदिग्ध व्यक्ति (संकितका) को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब तक आरोप को साबित करने के लिए पुख्ता सबूत न हों, तब तक पूछताछ की कोई गुंजाइश नहीं होती। जो व्यक्ति किसी निर्दोष व्यक्ति को बंदी बनाकर रखता है (परिवासयतशुद्धम) उसे पहले जुर्माने (गलत अभियोजन के लिए हर्जाना) से दंडित किया जाएगा।

अज्ञानी, युवा, वृद्ध, पीड़ित, नशे में धुत्त व्यक्ति, पागल, भूख, प्यास या यात्रा से थके हुए व्यक्ति, जिन्होंने अभी-अभी पर्याप्त भोजन कर लिया है, जिन्होंने अपनी इच्छा से अपराध स्वीकार किया है (आत्मुकासिटौई), और जो लोग बहुत कमजोर हैं - इनमें से किसी को भी यातना नहीं दी जाएगी।

प्रिय मित्रों, अब आप जानते हैं कि हमने अपनी यात्रा कहाँ से और कैसे शुरू की। लेकिन यह सवाल कि हम कहाँ पहुँचे हैं और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और कितनी दूरी तय करनी है, अभी भी अस्पष्ट है। यद्यपि कुछ तिमाहियों में वैश्विक स्तर पर भारत के बारे में निराशाजनक तस्वीर पेश की जाती है, लेकिन भारत द्वारा की गई उपलब्धियाँ, विशेष रूप से लैंगिक अधिकारों को बढ़ावा देने में, अभूतपूर्व हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 27.01.2010 को एक सकारात्मक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसने निम्नलिखित आँकड़े दिए:

- एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन चेस, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, यूबीएस और फिडेलिटी इंटरनेशनल भारत में महिलाओं द्वारा चलाए जाते हैं। इसे इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि एचएसबीसी के 331,000 कर्मचारियों में से 11% और जेपी मॉर्गन चेस के 220,000 कर्मचारियों में से 7% उस समय भारत में थे।
- दूसरा सबसे बड़ा बैंक आईसीआईसीआई एक महिला द्वारा संचालित।
- तीसरा सबसे बड़ा बैंक एक्सिस बैंक एक महिला द्वारा संचालित।
- कोटक महिंद्रा और जेपी मॉर्गन चेस में निवेश बैंकिंग संचालन की प्रमुख महिलाएँ हैं।
- आईसीआईसीआई में इक्विटी डिवीजन की प्रमुख एक महिला हैं।
- आरबीआई में आधे डिप्टी गवर्नर महिलाएँ हैं।
- एक समय में पूरा CBDT महिलाओं से बना हुआ था।
- भारत के बड़े बैंक, बीमा और कई प्रबंधन कंपनियों में से 5 में से 1 का नेतृत्व महिला करती है। - इसके विपरीत, अमेरिका या ब्रिटेन में कोई भी महिला बैंक का नेतृत्व नहीं करती है।

न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि ऐसे देश में जहाँ माता-पिता अभी भी लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक महत्व देते हैं और जहाँ समग्र महिला साक्षरता दर खराब है, बैंकिंग उद्योग में महिलाओं की संख्या आश्चर्यजनक है। इसलिए, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमने वास्तव में काफी अच्छी प्रगति की है।

विश्व महिला दिवस: 8 मार्च, 2025

# भारत में महिलाओं और लड़कियों के लिए कानूनी और नीतिगत हस्तक्षेप: मानव अधिकार परिप्रेक्ष्य

- **डॉ. किरण बेदी,** आईपीएस (सेवानिवृत्त)

हमारे जैसे कई पारंपरिक समाजों में, लड़के के जन्म पर जश्न मनाया जाता है, जबकि लड़की के जन्म पर अक्सर चिंता व्यक्त की जाती है - यह गहरी पैठ वाली पितृसत्ता का एक स्पष्ट प्रतिबिंब है। जैसे-जैसे लड़के बड़े होते हैं, उन्हें स्वायत्तता और अवसर दिए जाते हैं, जबकि लड़कियों को उनके सबसे बुनियादी अधिकारों के लिए भी स्वीकृति मांगने के लिए तैयार किया जाता है।

यह प्रणालीगत असमानता महिलाओं को उनकी पूरी क्षमता से वंचित करती है और ऐसा करने से राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक ताने-बाने को कमजोर करती है। इसे पहचानते हुए, भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में लैंगिक अंतर को पाटने और महिलाओं और लड़कियों के मौलिक मानव अधिकारों को बनाए रखने के लिए ऐतिहासिक और उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण कानूनी और नीतिगत हस्तक्षेप किए हैं।

## संवैधानिक गारंटी

भारत के कानूनी ढांचे की नींव में लैंगिक समानता के लिए एक स्पष्ट प्रतिबद्धता निहित है:

i.) अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है।

ii.) अनुच्छेद 15 (3): राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।

iii.) अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर सुनिश्चित करता है।

## महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानून

I.) दहेज निषेध अधिनियम, 1961: दहेज देने और लेने को अपराध बनाता है, जो घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के एक प्रमुख कारण को संबोधित करता है।

ii.) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976: समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को कायम रखता है, कार्यस्थल में महिलाओं के आर्थिक अधिकारों को स्वीकार करता है।

iii.) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005: एक ऐतिहासिक कानून जिसने घरेलू दुर्व्यवहार की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए इसमें शारीरिक, भावनात्मक, यौन, मौखिक और आर्थिक दुर्व्यवहार को शामिल किया।

iv.) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013: विशाखा दिशा-निर्देशों और निर्भया मामले से प्रेरित होकर, यह अधिनियम कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने और उसका निवारण करने के लिए तंत्र लागू करने का आदेश देता है।

v.) बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006: 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह पर रोक लगाता है, कम उम्र में विवाह को स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वायत्तता का उल्लंघन मानता है।

vi.) आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 और 2018: यौन हिंसा के खिलाफ कानूनों को मजबूत किया, बलात्कार की परिभाषा का विस्तार किया और 12 वर्ष से कम उम्र की नाबालिगों के साथ बलात्कार के लिए मृत्युदंड की शुरुआत की।

vii.) हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005: बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार दिए गए, जिससे उत्तराधिकार कानूनों में लंबे समय से चली आ रही लैंगिक पक्षपात की भावना समाप्त हो गई।

viii.) गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021: महिलाओं की कुछ श्रेणियों के लिए कानूनी गर्भपात की सीमा बढ़ा दी गई, जिससे उनके प्रजनन अधिकारों और शारीरिक स्वायत्तता को मजबूती मिली।

## सामाजिक-आर्थिक और कल्याणकारी योजनाएँ

I.) बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (2015): एक राष्ट्रीय अभियान जिसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और बेटियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बदलना है।

ii.) सुकन्या समृद्धि योजना (2015): शिक्षा और विवाह पर ध्यान केंद्रित करते हुए लड़कियों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बचत योजना।

iii.) उज्ज्वला योजना (2016): निम्न आय वाले परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है, जिससे स्वास्थ्य, स्वच्छता और सम्मान को बढ़ावा मिलता है।

iv.) वन-स्टॉप सेंटर (2015 से आगे): हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं के लिए एकीकृत सहायता सेवाएँ- कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता, आश्रय और परामर्श प्रदान करते हैं।

v.) महिला हेल्पलाइन (181): संकट में महिलाओं के लिए एक 24x7 राष्ट्रीय हेल्पलाइन, जो आपातकालीन सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करती है।

vi.) महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना: अपराधों की रिपोर्ट करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उन्हें कानून प्रवर्तक से जोड़कर समुदाय स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाती है।

### राजनीतिक सशक्तीकरण

I.) 73वां और 74वां संविधान संशोधन (1992): पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गईं, जिससे जमीनी स्तर पर महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

### निष्कर्ष

भारत के कानूनी और नीतिगत ढाँचों ने लैंगिक न्याय के लिए एक ठोस आधार तैयार किया है। हालाँकि, असली चुनौती उनके प्रभावी कार्यान्वयन और सामाजिक मानसिकता में बदलाव की है। कानून अधिकारों को अनिवार्य बना सकते हैं, लेकिन शिक्षा, जागरूकता और सामूहिक कार्रवाई ही स्थायी बदलाव ला सकती है।

महिलाओं और लड़कियों को संविधान में निहित अधिकारों को सही मायने में प्राप्त करने के लिए, सभी हितधारकों - सरकारों, संस्थानों, परिवारों और व्यक्तियों - को सक्रिय रूप से पितृसत्तात्मक संरचनाओं को खत्म करना चाहिए और ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना चाहिए जहाँ समानता का वादा न करके उसे जिया जाए।

एक ऐसा समाज जो लिंग की परवाह किए बिना, अपने सभी सदस्यों के मानव अधिकारों को कायम रखता है लेकिन उन लोगों की देखभाल करता है जिन्हें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, वह न केवल अधिक न्यायपूर्ण है; वह अधिक मजबूत, अधिक लचीला है, और फलने-फूलने के लिए अधिक सुसज्जित है।

विश्व जल दिवस 2025

# जल सुरक्षा और मानव अधिकार: समानता, स्थिरता और गरिमा का भविष्य बनाना

**- श्री भरत लाल**
महासचिव, एनएचआरसी, भारत
**- सुश्री स्वर्णा सिंह**
जेआरसी, एनएचआरसी

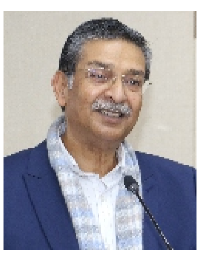

प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो जीवन के सबसे आवश्यक और अपूरणीय संसाधनों में से एक पर चिंतन करने का एक वैश्विक अवसर है। पानी, हवा के बाद दूसरा तत्व जल है जो मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से, संपूर्ण सभ्यताएं नदियों और जल निकायों के आसपास पनपी हैं, जो मानव विकास में पानी की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करती हैं। आज, बढ़ते पारिस्थितिक और सामाजिक दबावों के बीच, पानी की सुनिश्चित उपलब्धता केवल एक आवश्यकता नहीं है - यह जीवन, सम्मान और न्याय का प्रतीक है।

### भारत का जल विरोधाभास

भारत की जनसंख्या 1951 में 361 मिलियन से बढ़कर 2025 में 1.44 बिलियन हो गई है, जो मानवता का लगभग छठा हिस्सा है। 2019 तक, भारत में 535.78 मिलियन पशुधन हैं। 2011 तक यह घटकर 1,545 क्यूबिक मीटर रह गया, जो 2021 में और गिरकर 1,486 क्यूबिक मीटर हो गया तथा अनुमान है कि 2031 तक यह घटकर 1,367 क्यूबिक मीटर रह जाएगा। बढ़ती आबादी के अलावा, प्रति व्यक्ति मीठे पानी की उपलब्धता में कमी का एक प्रमुख कारण यह है कि मानवजनित और पर्यावरणीय चिंताओं के कारण अब पानी को संग्रहीत करने के लिए बड़े बांधों/जलाशयों का निर्माण करना संभव नहीं है।

भारत भर में कई क्षेत्र- बुंदेलखंड, पश्चिमी भारत और हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान- शुष्क या अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में आते हैं। जब प्रति व्यक्ति मीठे पानी की उपलब्धता 1,700 क्यूबिक मीटर से कम हो जाती है तो किसी क्षेत्र को जल-तनावग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और जब यह 1,100 क्यूबिक मीटर से कम हो जाती है तो उसे जल-दुर्लभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन मानदंडों के अनुसार, भारत के विशाल क्षेत्र पहले से ही जल-तनावग्रस्त या जल-दुर्लभ हैं। इस चुनौती को और भी जटिल बनाता है वर्षा का असमान अस्थायी वितरण। देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम के दौरान सिर्फ़ 15-25 दिनों में होती है, और कोई भी बदलाव, जैसे कि देरी या कम मानसून, सूखे जैसी स्थिति पैदा कर सकता है।

## आर्थिक विकास के लिए जल सुरक्षा

भारत की आर्थिक वृद्धि जल सुरक्षा पर निर्भर करती है। 1.44 बिलियन की आबादी को खिलाने के लिए विश्वसनीय और पर्याप्त कृषि उत्पादन की आवश्यकता होती है। बढ़ती आय और तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण पानी की मांग और बढ़ रही है, जबकि औद्योगीकरण और बदलती जीवनशैली के कारण जल प्रदूषण बढ़ रहा है। बारहमासी नदियाँ सूख रही हैं, अतिक्रमण के कारण जल निकाय लुप्त हो रहे हैं और भूजल स्रोत कम होते जा रहे हैं। सतत आर्थिक विकास और बेहतर जीवन गुणवत्ता सुनिश्चित करना स्वच्छ, पर्याप्त पानी की सुनिश्चित उपलब्धता पर निर्भर करता है।

भारत की जल चुनौतियाँ संरचनात्मक और प्रणालीगत दोनों हैं। राष्ट्रीय मिशनों और बुनियादी ढाँचे के विकास के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, अत्यधिक निष्कर्षण, भूजल का भू-जनित संदूषण, असमान वितरण और जलवायु-प्रेरित कमी बनी हुई है।

## अधिकार और जिम्मेदारी के रूप में जल

पानी तक पहुँच समानता, सुरक्षा, सामर्थ्य और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों पर आधारित है। अधिक मौलिक रूप से, इसे सम्मान के साथ जीने के अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। जहाँ पहुँच अनिश्चित है, वहाँ महिलाएँ और लड़कियाँ इसका खामियाजा भुगतती हैं, जिससे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और कार्यबल में भाग लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इन असमानताओं को दूर करने के लिए न केवल बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता है, बल्कि शासन में बदलाव की भी आवश्यकता है - जो समावेशिता, समानता, गुणवत्ता और मौसमी विश्वसनीयता पर केन्द्रित हो। कई शहरी मलिन बस्तियों और अनौपचारिक बस्तियों में, लोग असुरक्षित या अनधिकृत जल स्रोतों पर निर्भर हैं। भारत में पानी की कमी भी बहुत असमान है। राजस्थान और बुंदेलखंड जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लगातार कमी का सामना करना पड़ता है, जबकि बिहार और असम जैसे राज्य नियमित रूप से बाढ़ से जूझते हैं। यहाँ तक कि जिलों के भीतर भी, बुनियादी ढाँचे, शासन और सामुदायिक पूंजी में असमानताएँ पहुँच को आकार देती हैं। इसका समाधान स्थानीय रूप से उत्तरदायी, सामाजिक रूप से समावेशी जल रणनीतियों में निहित है जो भारत की जल विज्ञान, सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय विविधता को दर्शाती हैं।

## बदलती जलवायु और ग्लेशियर संरक्षण का आह्वान

विश्व जल दिवस 2025 का थीम- ग्लेशियर संरक्षण और सतत जल प्रबंधन- एक उभरते और जरूरी संकट को उजागर करता है: ग्लेशियरों का पीछे हटना, खास तौर पर हिमालय में, जिसे 'तीसरा ध्रुव' भी कहा जाता है। ये ग्लेशियर नदियों को पानी देते हैं जो दक्षिण एशिया में लाखों लोगों का भरण-पोषण करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण इनके तेजी से पिघलने से पारिस्थितिकी तंत्र, कृषि, पीने के पानी और आजीविका को गंभीर खतरा है। ग्लेशियरों को संरक्षित करना केवल बर्फ को संरक्षित करने के बारे में नहीं है - यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी को सुरक्षित करने के बारे में है।

## सुरक्षा, कमी और संरचनात्मक असमानताएँ

पर्याप्त वार्षिक वर्षा प्राप्त करने के बावजूद, भारत को व्यापक जल तनाव का सामना करना पड़ता है। विरोधाभास कुप्रबंधन में निहित है-अनियमित निकासी, अकुशल सिंचाई और खराब शासन। भूजल, जो ग्रामीण पेयजल आवश्यकताओं के 85% से अधिक और सिंचाई आवश्यकताओं के 60% को पूरा करता है, तेजी से समाप्त हो रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने सैकड़ों ब्लॉक और तालुकाओं को अति-शोषित या गंभीर श्रेणी में रखा है।

## भारत में नीतिगत प्रगति: एक उभरता हुआ मॉडल

जल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए जल प्रबंधन के लिए एक व्यापक, एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है - जमीन के ऊपर और नीचे हर बूंद को इकट्ठा करना और संग्रहीत करना, और इसका विवेकपूर्ण और कुशल तरीके से उपयोग करना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सतही जल संचयन के लिए स्वच्छ रहे, प्रदूषण को उसके स्रोत पर ही रोका जाना चाहिए।

इसके अनुसरण में, 2014 में, भारत ने देश को खुले में शौच से मुक्त (ODF) बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन (SBM) शुरू किया। 120 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया, और 2[1a] अक्टूबर, 2019 को, भारतीय गांवों ने आधिकारिक तौर पर खुद को ODF घोषित कर दिया। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन - जिसमें गोबर धन (गाय के गोबर से ऊर्जा) शामिल है - को वर्षा जल संग्रह के लिए स्वच्छ सतह सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता दी गई है।

प्रदूषण पर अंकुश लगाकर गंगा को फिर से जीवंत करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। इसकी सफलता के बाद, 34 अतिरिक्त नदियों को इसी तरह के प्रदूषण-उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत लाया गया है। 2019 में, जल-संबंधी सभी कार्य जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाए गए, जिसने 256 जल-संकटग्रस्त जिलों में जल शक्ति अभियान शुरू किया - बाद में कैच द रेन अभियान के माध्यम से इसे देश भर में विस्तारित किया गया। सात राज्यों में लागू की गई अटल भूजल योजना समुदाय-संचालित भूजल संरक्षण को बढ़ावा देती है।

## जल जीवन मिशन: एक आदर्श बदलाव

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त, 2019 को घोषित और 25 दिसंबर, 2019 को लॉन्च किए गए जल जीवन मिशन (JJM) - हर घर जल - का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण घर को स्वच्छ नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करना है। शुरुआत में, केवल 16.71% ग्रामीण घरों में नल का पानी था, आकांक्षी जिलों में 7.77% और जापानी इंसेफेलाइटिस/एईएस प्रभावित जिलों में सिर्फ 2.69% था।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत:

- जल संसाधन प्रबंधन, जल आपूर्ति, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट और पुनः उपयोग, तथा संचालन और रखरखाव - एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

- योजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव का काम ग्राम पंचायत और/या उसकी उपसमिति यानी पानी समिति को सौंपा जाता है।
- इस पहल के केंद्र में महिलाएँ हैं, जहाँ उनकी क्षमता निर्माण, सशक्तिकरण और नेतृत्व की अहम भूमिका है।
- केंद्र और राज्य सरकारें, पीआरआई, नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठन, शैक्षणिक संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ सहित सभी हितधारक हर घर में स्वच्छ नल का पानी पहुँचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं।

जेजेएम ने एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि 'कोई भी पीछे न छूटे।' परिणामस्वरूप, पांच वर्षों में, कोविड-19 महामारी के बावजूद, स्वच्छ नल के पानी का प्रावधान 3.23 करोड़ (16.67%) से बढ़कर 15.62 करोड़ (80.68%) घरों और 89.57% स्कूलों और 85.54% आंगनवाड़ी केंद्रों (AWC) तक पहुँच गया। आकांक्षी जिलों में कुल 275 लाख घरों में से 21.38 लाख (7.77%) से बढ़कर 217.62 लाख (79.13%) हो गया। जापानी इंसेफेलाइटिस/एईएस प्रभावित जिलों में, नल के पानी वाले घरों की संख्या 2.38 लाख (2.69%) से बढ़कर 245.95 लाख (82.65%) हो गई।

कार्यक्रम विकेंद्रीकृत, समुदाय-प्रबंधित विकास का एक मॉडल है:

- योजना और कार्यान्वयन का नेतृत्व ग्राम पंचायतों और पानी समितियों द्वारा किया जाता है।
- 24 लाख से अधिक महिलाओं को जल गुणवत्ता परीक्षण में प्रशिक्षित किया गया है।
- 6 लाख से ज़्यादा गांवों में पानी समितियां हैं, जिनमें 50% से ज़्यादा महिलाएँ और 25% कमज़ोर तबकों का प्रतिनिधित्व है।

इस कार्यक्रम में ये भी शामिल हैं:

- सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालयों और मूत्रालयों में हाथ धोने की सुविधा और पाइप से पानी की व्यवस्था।
- वर्षा जल संचयन और ग्रे वाटर संग्रह, और उपचार।

नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफ़ेसर माइकल क्रेमर द्वारा 2022 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि JJM 50% कवरेज पर सालाना 1.36 लाख पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की जान बचाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुमान है कि देश भर में नल के पानी की पहुँच से सालाना 4 लाख डायरिया से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। इस मिशन ने स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वच्छता में सुधार किया है, जहाँ अब पाइप से पानी, शौचालय और हाथ धोने की सुविधाएँ व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। जेजेएम का पारदर्शी डैशबोर्ड गाँव की कवरेज, घरेलू पहुँच और पानी की गुणवत्ता पर वास्तविक समय का डेटा प्रदान करता है। 15वें वित्त आयोग ने पंचायतों को जल और स्वच्छता के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये के बंधे हुए अनुदान (2019-2026) के साथ इन प्रयासों को मजबूत किया है, जिससे लोकतांत्रिक, विकेन्द्रीकृत जल प्रशासन को मजबूती मिली है।

## भविष्य की राह: नियंत्रण से सहयोग की ओर

आशा बढ़ती गति में निहित है - सरकारी योजनाओं और न्यायिक आदेशों से लेकर जमीनी स्तर के नवाचारों और नागरिक भागीदारी तक। पूरे भारत में, समुदाय जलग्रहण क्षेत्रों को पुनर्जीवित कर रहे हैं, चेक डैम बना रहे हैं और वर्षा जल संचयन कर रहे हैं। ये विकेन्द्रीकृत कार्य लचीलेपन और प्रबंधन के बारे में गहन शिक्षा देते हैं।

भविष्य की राह समावेशी, अनुकूल और न्यायोन्मुखी होना चाहिए। इसमें सबसे अधिक प्रभावित लोगों - महिलाओं, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों, हाशिए पर रहे समुदायों - की आवाज़ को केंद्र में रखना चाहिए और स्थानीय संस्थानों को सशक्त बनाना चाहिए। रियल टाइम मानटिरिंग, सहभागी शासन और पारिस्थितिक स्थिरता इस ढांचे के स्तंभ होने चाहिए। यह तत्काल जलवायु कार्रवाई की भी मांग करता है: अपस्ट्रीम पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना, हिमनद निगरानी को बढ़ाना और कार्बनरहित रास्ते पर आगे बढ़ना। भारत एक मोड़ पर है। अपनी तकनीकी विशेषज्ञता, मजबूत नीति प्रतिबद्धता और उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व तथा जल प्रबंधन की गहरी सांस्कृतिक परंपराओं के साथ, इसके पास घरेलू और वैश्विक मंच पर उदाहरण प्रस्तुत करने का अवसर और जिम्मेदारी दोनों है। जल प्रशासन में समानता, समावेशिता और गरिमा को समाहित करके, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि हर बूंद न केवल जीवन को बनाए रखे, बल्कि समृद्ध होने के मानव अधिकार को भी बनाए रखे।

# महत्वपूर्ण हस्तक्षेप

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के लिए मानव अधिकार उल्लंघन की घटनाओं के बारे में जानने के लिए मीडिया रिपोर्ट एक बहुत ही उपयोगी साधन रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में आयोग ने ऐसे कई मुद्दों का स्वतः संज्ञान लिया है और मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को सहायता प्रदान की है। मार्च, 2025 के दौरान आयोग ने मीडिया द्वारा बताए गए कथित मानव अधिकार उल्लंघन के 04 मामलों में स्वतः संज्ञान लिया और रिपोर्ट के लिए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए। इन मामलों का सारांश इस प्रकार है:

# स्वतः संज्ञान

### मौत की धमकी की शिकायत पर पुलिस की निष्क्रियता के कारण एक व्यक्ति की हत्या

(केस संख्या 367/22/37/2025)

19 मार्च, 2025 को मीडिया ने खबर दी कि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में चार लोगों के एक समूह ने दिनदहाड़े एक सेवानिवृत्त पुलिस उपनिरीक्षक की हत्या कर दी। बताया जाता है कि पीड़ित एक कार्यकर्ता था जो इलाके में वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा था और उसे कुछ लोगों से जान से मारने की धमकियाँ मिल रही थीं। उसने यह भी आरोप लगाया था कि पुलिस उनके खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं कर रही थी क्योंकि वह उनके साथ मिली हुई थी। आयोग ने पुलिस महानिदेशक और जिला कलेक्टर, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

### भूमि विवाद को लेकर 8 परिवारों के 30 लोगों का बहिष्कार

(केस संख्या 255/22/58/2025)

20 फरवरी, 2025 को मीडिया ने खबर दी कि तमिलनाडु के तेनकासी जिले के संबावरवदकरई कस्बे में एक व्यक्ति के खिलाफ भूमि अतिक्रमण को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू करने पर गांव के मुखिया ने एक परिवार के सभी सदस्यों को बहिष्कृत कर दिया। इस परिवार का समर्थन करने पर सात अन्य परिवारों को भी बहिष्कृत कर दिया गया। खबर के अनुसार, पुलिस ने 8 परिवारों के 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जब उन्होंने अपने बहिष्कार के खिलाफ जिला कलेक्टर के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। खबर के अनुसार, पीड़ित परिवारों को स्थानीय दुकानों, अन्य सुविधाओं तक पहुंचने और अन्य निवासियों के साथ बातचीत करने से रोक दिया गया। आयोग ने तमिलनाडु के तेनकासी के जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

### छात्र पर हमला

(केस नं. 368/22/41/2025)

12 मार्च, 2025 को मीडिया ने खबर दी कि तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में अनुसूचित जाति से संबंधित कक्षा-11 के एक छात्र पर उसके इलाके के कुछ ऊंची जाति के लड़कों ने हमला किया। खबर के अनुसार, यह घटना तब हुई जब पीड़ित छात्र परीक्षा देने के लिए बस में सवार होकर जा रहा था। अपराधियों ने उसे बस से बाहर खींच लिया और दरांती से हमला कर उसके बाएं हाथ की उंगलियां काट दीं। खबर के अनुसार, पीड़ित के पिता, जिन्होंने कथित तौर पर बीच-बचाव करने की कोशिश की, पर भी हमला किया गया। आयोग ने पुलिस महानिदेशक और थूथुकुडी, तमिलनाडु के जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

### आत्महत्या के प्रयास के बाद नर्सिंग छात्रा की मौत

(केस नंबर 124/11/6/2025)

23 मार्च, 2025 को मीडिया ने खबर दी कि केरल के कासरगोड जिले में वार्डन द्वारा उत्पीड़न के आरोपों के बीच छात्रावास के कमरे में आत्महत्या का प्रयास करने के बाद तीसरे वर्ष की नर्सिंग छात्रा की तीन महीने कोमा में रहने के बाद मौत हो गई। पीड़िता को पहले मंगलुरु के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद उसे कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया, जहां उसकी मौत तक उसकी हालत गंभीर बनी रही। आयोग ने केरल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले में रिपोर्ट मांगी है।

# राहत के लिए संस्तुतियां

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों को संबोधित करना, पीड़ितों की शिकायतों को सुनना और ऐसे मामलों में उचित राहत की संस्तुति करना है। आयोग नियमित रूप से ऐसे विभिन्न मामलों को उठाता है और पीड़ितों को राहत देने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश और संस्तुति देता है। मार्च, 2025 के दौरान, 04 मामलों में पीड़ितों या उनके निकटतम रिश्तेदारों को मौद्रिक राहत के रूप में के लिए 11.5 लाख रुपये से अधिक की राशि की संस्तुति की गई थी, जहां आयोग ने पाया कि लोक सेवकों ने या तो मानव अधिकारों का उल्लंघन किया था या उनकी सुरक्षा में लापरवाही बरती थी। इन मामलों का विशिष्ट विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को लॉग करके एनएचआरसी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है:

| क्र. सं. | केस संख्या | शिकायत की प्रकृति | राशि (₹ लाख में) | प्राधिकरण |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25558/24/48/2023-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मौत | 5.00 | उत्तर प्रदेश |
| 2. | 1263/25/5/2022-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मौत | 5.00 | पश्चिम बंगाल |
| 3. | 1121/34/16/2017 | सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अनियमितताएं | 1.00 | झारखंड |
| 4. | 443/33/14/2024 | कानूनी कार्रवाई करने में विफलता | 0.50 | छत्तीसगढ |

# पीड़ितों को राहत का भुगतान

आयोग ने विभिन्न लोक प्राधिकारणों से भुगतान के साक्ष्य के साथ अनुपालन रिपोर्ट या कुछ अन्य अवलोकन/निर्देशों की प्राप्ति होने पर 25 मामलों को बंद कर दिया। आयोग की संस्तुतियों पर पीड़ितों या उनके निकटतम रिश्तेदारों को कुल 34.5 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया। इन मामलों का विशिष्ट विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को लॉग करके एनएचआरसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है:

| क्र. सं. | केस संख्या | शिकायत की प्रकृति | राशि (₹ लाख में) | प्राधिकरण |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1093/34/6/2021-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मौत | 7.50 | झारखंड |
| 2. | 2173/20/10/2023-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मौत | 5.00 | राजस्थान |
| 3. | 12766/24/26/2021-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मौत | 4.00 | उत्तर प्रदेश |
| 4. | 29317/24/32/2023-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मौत | 5.00 | उत्तर प्रदेश |
| 5. | 2156/25/11/2023-डब्ल्यूसी | महिलाओं का अपमान | 6.00 | पश्चिम बंगाल |

# केस स्टडी

कई मामलों में, आयोग ने संबंधित राज्य अधिकारियों के दावों के विपरीत पाया कि पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन उनकी गैरकानूनी कार्रवाई, निष्क्रियता या चूक के कारण हुआ था। इसलिए, आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत न केवल मामले-दर-मामला आधार पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की संस्तुति की, बल्कि मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों या उनके परिजनों को आर्थिक राहत देने की भी संस्तुति की। आयोग को संबंधित राज्य अधिकारियों द्वारा अपनी संस्तुतियों के अनुपालन की रिपोर्ट भी मिली। इनमें से कुछ मामलों का सारांश इस प्रकार है:

## विचाराधीन कैदी की मौत

(केस नंबर 25617/24/14/2021-जेसीडी)

यह मामला 2 सितंबर 2021 को जिला जेल, बरेली, उत्तर प्रदेश में 26 वर्षीय विचाराधीन कैदी की मौत से संबंधित है। कथित तौर पर, उसे 25 अगस्त, 2021 को जेल में भर्ती कराया गया था। अपने नोटिस के जवाब में प्राप्त रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि जब से जेल में लाया गया था, तब उसकी प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच में चिकित्सकीय लापरवाही हुई थी। आयोग ने पाया है कि चूंकि पीड़ित राज्य की हिरासत में था, इसलिए यह उसके जीवन के अधिकार के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी है। अतः आयोग ने संस्तुति की कि उत्तर प्रदेश सरकार उसके निकटतम रिश्तेदार (NoK) को राहत के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान करे, जिसका भुगतान किया गया।

## विचाराधीन कैदी द्वारा आत्महत्या

(केस नंबर 126/3/4/2023-जेसीडी)

यह मामला असम के धुबरी स्थित जिला जेल में 28 वर्षीय विचाराधीन कैदी की आत्महत्या से जुड़ा है। कथित तौर पर, उसे जेल के शौचालय में लटका हुआ पाया गया था। अपने नोटिस के जवाब में प्राप्त रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर, आयोग ने माना कि राज्य अपनी हिरासत में कैदी की सुरक्षा, संरक्षण और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपनी विफलता के लिए उत्तरदायी है। इसलिए, आयोग ने संस्तुति की कि असम सरकार उसके रिश्तेदार को राहत के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान करे, जिसका अनुपालन किया गया।

## विचाराधीन कैदी द्वारा आत्महत्या

(केस संख्या 29317/24/32/2023-जेसीडी)

यह मामला वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की जिला जेल में बंद 21 वर्षीय विचाराधीन कैदी की आत्महत्या से संबंधित है। अपने नोटिस के जवाब में प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आयोग ने पाया कि कैदी की आत्महत्या के लिए मुख्य जेल वार्डन और अन्य कर्मचारियों की ओर से लापरवाही बरती गई थी। राज्य की जिम्मेदारी के अनुरूप यह कर्तव्य था कि वह अपने हिरासत में बंद कैदियों को होने वाले किसी भी नुकसान से बचाए और उन्हें होने वाले नुकसान से बचाए। इसलिए आयोग ने संस्तुति की कि उत्तर प्रदेश

सरकार मृतक के परिजनों को राहत के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान करे, जिसका भुगतान किया गया।

### चिकित्सकीय लापरवाही के कारण कैदी की मौत

(केस संख्या 1093/34/6/2021-जेसीडी)

यह मामला 2021 में झारखंड के जमशेदपुर के केंद्रीय कारागार घाघीडीह में बंद 45 वर्षीय विचाराधीन कैदी की मौत से संबंधित है। अपने नोटिस के जवाब में प्राप्त रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर आयोग ने पाया कि मृतक को 2 जुलाई, 2021 को जिला कारागार, साकची, जमशेदपुर से केंद्रीय कारागार घाघीडीह, जमशेदपुर में स्थानांतरित किया गया था, जहां उसे 16 जून, 2021 को भर्ती कराया गया था। वह बुखार और चलने में कठिनाई होने के साथ-साथ दाहिने पैर में दर्द और सूजन की शिकायत लेकर जेल अस्पताल गया था। उसे जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। शव परीक्षण सर्जन की रिपोर्ट के आधार पर, जांच मजिस्ट्रेट ने निष्कर्ष निकाला कि कैदी की मौत का कारण 'सेप्टिक शॉक' नहीं था जैसा कि जेल अधिकारियों ने दावा किया था, बल्कि मस्तिष्क में किसी कठोर और कुंद प्रभाव के कारण चोट लगने से हुआ था। इसलिए, आयोग ने माना कि राज्य अपने कर्मचारियों की लापरवाही के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि उन्होंने कैदी के जीवन को सुरक्षा, संरक्षा और संरक्षण प्रदान नहीं किया और संस्तुति की कि वह मृतक के परिजनों को राहत के रूप में 7.5 लाख रुपये का भुगतान करे, जिसका भुगतान किया गया।

# घटनास्थल पूछताछ

### केस नं. 134/18/28/2025-wc

6-8 मार्च, 2025 को, एनएचआरसी, भारत के रजिस्ट्रार (विधि), श्री जोगिंदर सिंह, एसएसपी, श्री हरि लाल चौहान और इंस्पेक्टर, श्री अविनाश कुमार के साथ ओडिशा में केआईआईटी विश्वविद्यालय, खोरधा, भुवनेश्वर के अधिकारियों की उदासीनता, जिसके परिणामस्वरूप नेपाल की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली के आरोपों की घटनास्थल पर जाकर जांच की।

### (केस संख्या 384/12/25/2025)

10-13 मार्च, 2025 तक, एनएचआरसी, भारत रजिस्ट्रार (विधि), श्री जोगिंदर सिंह, एनएचआरसी ने उप पुलिस अधीक्षक, श्री राजेंद्र सिंह और निरीक्षक, श्री संजीव कुमार के साथ खंडवा जिला जेल में अमानवीय व्यवहार और यातना के आरोपों की घटनास्थल पर जाकर जांच करने के लिए मध्य प्रदेश के खंडवा और इंदौर का दौरा किया।

### (केस संख्या 3436/30/0/2023)

10-13 मार्च, 2025 तक, आयोग ने उत्तरी दिल्ली में अपहरण और हत्या के एक मामले में कथित पुलिस निष्क्रियता की मौके पर जांच की।

### (केस संख्या 2212/24/56/2025-डब्ल्यूसी)

19 से 21 मार्च, 2025 तक आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक नाबालिग दलित लड़की के अपहरण, यातना और सामूहिक बलात्कार के आरोपों की घटनास्थल पर जांच की।

# क्षेत्रीय दौरे

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के अध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर देश के विभिन्न स्थानों का दौरा करते हैं ताकि मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन किया जा सके और संबंधित राज्य सरकारों और उनके संबंधित अधिकारियों द्वारा आयोग की सलाह, दिशा-निर्देशों और सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का पता लगाया जा सके। वे आश्रय गृहों, जेलों, पर्यवेक्षण गृहों आदि का भी दौरा करते हैं और सरकारी अधिकारियों को मानव अधिकारों के हित में आवश्यक प्रयास करने के लिए जागरूक करते हैं। मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों के शीघ्र निपटान में आयोग की मदद करने के लिए राज्य अधिकारियों द्वारा समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर भी जोर दिया जाता है।

# एनएचआरसी, भारत के सदस्यों का दौरा

- 6 मार्च, 2025 को एनएचआरसी, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने विशाखापत्तनम के आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्र छात्रावास नागार्जुन प्रसाद गृह का औचक दौरा किया। उन्होंने कहा कि इसका रखरखाव अन्य शैक्षणिक संस्थानों और छात्रावासों के लिए एक आदर्श बन सकता है।

▶ एनएचआरसी, भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में नागार्जुन प्रसाद गृह का निरीक्षण करती हुई

▶ एनएचआरसी, भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी इंदौर, मध्य प्रदेश में सेवा भारती गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं के साथ

- 8 मार्च, 2025 को एनएचआरसी, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने इंदौर, मध्य प्रदेश में सेवा भारती गर्ल्स हॉस्टल और एसटी हॉस्टल का दौरा किया। सेवा भारती गर्ल्स हॉस्टल में सुविधाएँ और भोजन संतोषजनक थे, जबकि कलेक्टर ऑफ़िस के पास एसटी हॉस्टल में ये सुविधाएँ मानक के अनुरूप नहीं थीं।

- 28 मार्च, 2025 को एनएचआरसी भारत के सदस्य श्री प्रियंक कानूनगो ने जेलों में सुविधाओं और मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन करने के लिए भुवनेश्वर, ओडिशा में एक विशेष जेल का औचक दौरा किया।

# विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनीटर्स

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकार स्थितियों पर नजर रखने के लिए 15 विशेष प्रतिवेदकों को नियुक्त किया है। वे आश्रय गृहों, जेलों, पर्यवेक्षण गृहों और इसी तरह के संस्थानों का दौरा करते हैं, और आगे की कार्रवाई के लिये टिप्पणियों और सुझावों पर आयोग को रिपोर्ट सौपते हैं। इसके अलावा आयोग ने 21 विशेष मॉनिटर भी नियुक्त किए हैं, जिन्हें विशिष्ट विषयगत मानव अधिकार मुद्दों पर नजर रखने और आयोग को रिपोर्ट करने के लिए मानव अधिकारों के विषयगत मुद्दों का काम सौंपा गया है। मार्च, 2025 के दौरान, विशेष प्रतिवेदक और मॉनिटर दोनों ने कई स्थानों का दौरा किया।

## विशेष प्रतिवेदक

1. 23 से 27 मार्च, 2025 तक, श्री महेश सिंगला ने मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन करने के लिए फरीदाबाद और गुरुग्राम में दत्तक ग्रहण केंद्र और वृद्धाश्रम का दौरा किया।

▶ एनएचआरसी, भारत के विशेष प्रतिवेदक, श्री महेश सिंगला फरीदाबाद, हरियाणा में एक दत्तक ग्रहण केंद्र का निरीक्षण करते हुए

2. 26 से 31 मार्च, 2025 तक, डॉ. अशोक कुमार वर्मा ने हिमाचल प्रदेश में जिला जेल, धर्मशाला और चंबा का दौरा किया। उन्होंने लोकोमोटर चिल्ड्रन होम, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, धर्मशाला में वृद्धाश्रम और चंबा में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का भी दौरा किया, ताकि मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन किया जा सके।

3. 24 से 30 मार्च, 2025 तक, श्री उमेश कुमार ने सिक्किम में जेल और आंगनवाड़ी केंद्र का दौरा किया और मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन किया।

## विशेष मॉनिटर

1. 26 से 28 मार्च, 2025 तक श्री योगेश दुबे ने मानव अधिकार स्थिति का आकलन करने के लिए हैदराबाद, तेलंगाना में पुनर्वास केंद्रों, जिला प्रशासन, वन स्टॉप सेंटर आदि का दौरा किया।

2. 24 से 29 मार्च, 2025 तक डॉ. प्रदीप कुमार नायक ने आंध्र प्रदेश के कडप्पा, अन्नामय्या, नंद्याला, कुरनूल के रायलसीमा जिलों में स्वास्थ्य और कुष्ठ कार्यक्रम, समाज कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य और अन्य विभागों, अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामान्य समुदायों और कुष्ठ कॉलोनियों के जिला अधिकारियों से भेंट की।

3. 26 से 31 मार्च, 2025 तक श्री बालकृष्ण गोयल ने मौके पर निरीक्षण और डेटा संग्रह के लिए हरियाणा के गुरुग्राम, हिसार, सिरसा और अंबाला में वृद्धाश्रम, बाल देखभाल संस्थान, जिला जेल और अवलोकन गृहों का दौरा किया।

▶ एनएचआरसी, भारत के विशेष मॉनिटर, श्री बालकृष्ण गोयल हरियाणा के हिसार जिला जेल में कैदियों के साथ बातचीत करते हुए।

# क्षमता निर्माण

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत को मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन करने तथा इसके बारे में जागरूकता पैदा करने का दायित्व सौंपा गया है। इस उद्देश्य के लिए, यह अपनी पहुँच और मानव अधिकार संवेदनशीलता का विस्तार करने के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम, सहयोगात्मक प्रशिक्षण और विभिन्न अन्य गतिविधियाँ आयोजित कर रहा है। इंटर्नशिप व्यक्तिगत रूप से और साथ ही ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाती हैं। ऑनलाइन इंटर्नशिप यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाती है कि दूरदराज के क्षेत्रों के छात्र बिना किसी यात्रा और दिल्ली में रहने के खर्च के इसमें शामिल हो सकें। इसके अलावा, आयोग सभी संस्थानों में मानव अधिकारों को बनाए रखने और उनकी सुरक्षा करने के अपने मिशन के रूप में विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों के लिए एक विशेष मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और सम्मान की रक्षा की जाए।

## ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप (ओएसटीआई)

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत द्वारा आयोजित दो सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप (ओएसटीआई) कार्यक्रम 13 मार्च, 2025 को संपन्न हुआ। इसका शुभारम्भ 3 मार्च, 2025 को हुआ था। देश के विभिन्न क्षेत्रों और दूरदराज के क्षेत्रों के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 67 छात्रों ने इसमें भाग लिया।

एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन षडंगी ने अपने समापन भाषण में उन्हें बधाई दी। उन्होंने कार्यक्रम की कठोर चयन प्रक्रिया पर प्रकाश डाला, मानव अधिकारों के प्रति उत्साह रखने वाले व्यक्तियों को चुनने के लिए श्रमसाध्य प्रयास पर जोर दिया। कार्यक्रम को छात्रों को मानव अधिकार संरक्षकों के रूप में सीखने, बढ़ने और सक्षम बनाने के लिए एक आधारभूत पाठ्यक्रम के रूप में डिज़ाइन किया गया था। उन्होंने सीखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए प्रशिक्षुओं की सराहना की, जो एक आजीवन प्रयास है जो कभी समाप्त नहीं होता है। न्यायमूर्ति षडंगी ने मानव अधिकार संस्थाओं द्वारा मानव अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण करने में वैश्विक स्तर पर निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया और प्रशिक्षुओं को अपने नए अर्जित ज्ञान का उपयोग मानवता की सेवा के लिए करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह किसी भी विशिष्ट मानव अधिकार मुद्दे से इतर हो सकता है जिसे वे अपनाना चाहें।

इससे पहले, ऑनलाइन इंटर्नशिप के उद्घाटन भाषण में, एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने छात्रों से आग्रह किया कि वे इस अवधि को न केवल अपने पाठ्यक्रम के अतिरिक्त के रूप में देखें, बल्कि अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंटर्नशिप का वास्तविक मूल्य प्रशिक्षुओं की सोच, व्यवहार और समाज के सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति संवेदनशीलता को बदलने के लिए दिए जाने वाले गहन, स्थायी ज्ञान में निहित है। ऐसे युग में जब लैपटॉप और मोबाइल उपकरणों पर जानकारी आसानी से उपलब्ध है, असली चुनौती

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ओएसटीआई के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए

डिजिटल पहुंच और आंतरिककरण, उसके बाद अनुप्रयोग के बीच की खाई को पाटना है।

महासचिव ने जोर देकर कहा कि दो सप्ताह का कार्यक्रम पीड़ा और अन्याय के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के साथ-साथ जिम्मेदारी की गहरी भावना पैदा करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सच्चा परिवर्तन केवल अन्याय को देखने में नहीं बल्कि निर्णायक कार्रवाई करने में निहित है, और अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना - सूक्ष्म अपमान से लेकर खुले तौर पर दुर्व्यवहार तक - सर्वोपरि है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन गुणों को विकसित करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शिक्षा मात्र ज्ञान से आगे बढ़कर अधिक मानवीय एवं समर्पित व्यक्ति का निर्माण करे।

▶ एनएचआरसी, भारत के सदस्य न्यायामूर्ति डॉ बिद्युत रंजन षडंगी ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करते हुए

इंटर्नशिप रिपोर्ट पेश करते हुए एनएचआरसी, भारत के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह ने कहा कि एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों द्वारा मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर सत्रों के अलावा, प्रशिक्षुओं को दिल्ली में तिहाड़ जेल, पुलिस स्टेशन और आशा किरण आश्रय गृह का वर्चुअल दौरा भी कराया गया। उन्हें विभिन्न सरकारी संस्थाओं के कामकाज, मानव अधिकारों की रक्षा के तंत्र, जमीनी हकीकत और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कदमों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने पुस्तक समीक्षा, समूह शोध परियोजना प्रस्तुति और भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं की भी घोषणा की।

## अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

- 25 मार्च, 2025 को एनएचआरसी, भारत ने जन सूचना अधिकारी, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के प्रभार वाले अपने अधिकारियों के लिए आरटीआई अधिनियम पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त श्री बिमल जुल्का ने उन्हें संबोधित किया। उन्होंने आरटीआई अधिनियम के अनुपालन में आधिकारिक कामकाज में पारदर्शिता के महत्व के बारे में बात की।

▶ पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त श्री बिमल जुल्का आरटीआई अधिनियम पर चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए

- 27-28 मार्च, 2025 तक आयोग ने अपने अन्वेषण प्रभाग के अधिकारियों के लिए दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किया। सफदरजंग अस्पताल के फोरेंसिक मेडिसिन के निदेशक प्रोफेसर डॉ मनीष कुमथ और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली के फोरेंसिक मेडिसिन के निदेशक प्रोफेसर डॉ अरविंद कुमार ने विभिन्न चोटों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट रिकॉर्ड, पुलिस हिरासत में आत्महत्या आदि विषयों पर चर्चा की।

## कार्यशालाएं

मार्च, 2025 के दौरान, आयोग ने 12 सहयोगी मानव अधिकार जागरूकता कार्यशालाओं को भी सहायता दी। इनमें शामिल हैं; हरियाणा पुलिस अकादमी, करनाल, हरियाणा, एमकेएलएम का बी.एल. अमलानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, एम.आर. नाथवानी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, मुंबई, महाराष्ट्र, सेंट टेरेसा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, एस.वी. रोड, सांताक्रूज, मुंबई, महाराष्ट्र, श्री कृष्णा आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, कोयंबटूर, तमिलनाडु, के.वी.एन. नाइक शिक्षण प्रसारक संस्था का आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, नासिक, महाराष्ट्र, कोडागु विश्वविद्यालय, कर्नाटक, श्रीमती इंदिरा गांधी कॉलेज, त्रिचिरापल्ली, तमिलनाडु, भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई), नई दिल्ली, उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी, मेघालय, पुलिस मुख्यालय (प्रशिक्षण), गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश अंबेडकर सेंटर फॉर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मैसूर, कर्नाटक, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुणे ग्रामीण, महाराष्ट्र, और विवेकानंद ग्रामोद्योग महाविद्यालय (पीजी) कॉलेज, बेला रोड, दिबियापुर, औरैया, उत्तर प्रदेश। इन कार्यशालाओं में 1,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

हरियाणा पुलिस अकादमी, करनाल

एमकेएलएम के बी.एल.अमलानी कॉलेज और एम.आर.नाथवानी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, मुंबई

सेंट टेरेसा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, मुंबई

के.वी.एन. नाइक शिक्षण प्रसारक संस्था की कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, नासिक

कोडागु विश्वविद्यालय, कर्नाटक

श्रीमती इंदिरा गांधी कॉलेज, त्रिचिरापल्ली

पूर्वी पुलिस अकादमी, मेघालय

पुलिस मुख्यालय (प्रशिक्षण), लखनऊ

डॉ. बी.आर. अंबेडकर सामाजिक न्याय एवं समानता केंद्र, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर

श्री कृष्ण कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, कोयंबटूर

भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली

पुणे ग्रामीण के पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

## ज्ञानार्जन दौर

कॉलेज स्तर के छात्रों और उनके संकायों के बीच मानव अधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत उन्हें मानव अधिकारों , उनके संरक्षण तंत्र और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीएचआरए), 1993 के अनुरूप इस उद्देश्य के लिए इसके कामकाज को समझने के लिए आयोग का दौरा करने के लिए आमंत्रित करता है।

मार्च, 2025 के दौरान, 14 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के 562 छात्रों और उनके संकाय सदस्यों ने आयोग का दौरा किया और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मानव अधिकारों और विधि और अन्वेषण प्रभागों और शिकायत प्रबंधन प्रणाली के कामकाज के बारे में जानकारी दी गई। महाराष्ट्र के नौ कॉलेज शामिल थे, जिनमें वीपीएमएस टीएमसी लॉ कॉलेज, ठाणे, न्यू लॉ कॉलेज माटुंगा, मुंबई, राजर्षि शाहू लॉ कॉलेज, मुंबई, नवजीवन लॉ कॉलेज, नासिक, लॉर्ड्स यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ लॉ, मुंबई, एनबी ठाकुर लॉ कॉलेज, नासिक, श्री एल.आर. तिवारी कॉलेज ऑफ लॉ, ठाणे, महात्मा गांधी विद्यामंदिर का एसपीएच लॉ कॉलेज, पंचवटी शामिल थे। दिल्ली के दो कॉलेज थे, जिनमें विधि संकाय और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय शामिल थे। अन्य कॉलेज में आईएमएस लॉ कॉलेज, नोएडा, उत्तर प्रदेश, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा, लॉ सेंटर-II और सुरेश्वर दुवा लॉ कॉलेज, हावड़ा, पश्चिम बंगाल शामिल थे।

वीपीएमएस टीएमसी लॉ कॉलेज, ठाणे

न्यू लॉ कॉलेज माटुंगा, मुंबई

राजर्षि साहू लॉ कॉलेज, मुंबई

नवजीवन लॉ कॉलेज, नासिक

लॉर्ड्स यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ लॉ, मुंबई

एन बी ठाकुर लॉ कॉलेज, नासिक

श्री एल. आर. तिवारी कॉलेज ऑफ लॉ, ठाणे

लॉ सेंटर-II, हावड़ा

राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, दिल्ली

आईएमएस लॉ कॉलेज, नोएडा

ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत

सुरेश्वर दुआ लॉ कॉलेज, हावड़ा

# पुरस्कार

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने मानव अधिकारों और मानवीय मूल्यों का संरक्षण और संवर्धन करने में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ पुरस्कारों की शुरुआत की है। मानव अधिकार लघु फिल्म प्रतियोगिता 2015 में शुरू की गई एक ऐसी ही एक योजना है। तब से, देश के विभिन्न हिस्सों से कई लोगों ने भाग लिया है और आयोग के कुछ गुणवत्ता वाली लघु फिल्मों के संग्रह में योगदान दिया है, जिसमें मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर डाक्यूमेंट्री भी शामिल हैं, जिन्हें जागरूकता उद्देश्यों के लिए आयोग वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

## एनएचआरसी, भारत लघु फिल्म प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण

26 मार्च, 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने 2024 में मानव अधिकारों पर अपनी लघु फिल्म प्रतियोगिता के सात विजेताओं को सम्मानित करने और

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायामूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, लघु फिल्म प्रतियोगिता पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए

पुरस्कार प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में अपने परिसर में एक समारोह आयोजित किया। सभा को संबोधित करते हुए, न्यायमूर्ति श्री वी. रामसुब्रमण्यन, अध्यक्ष, एनएचआरसी, भारत ने कहा कि आयोग का उद्देश्य मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करना है। मानव अधिकारों पर इसकी लघु फिल्म प्रतियोगिता एक दशक से इस उद्देश्य को बहुत प्रभावी ढंग से पूरा कर रही है। एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन षडंगी, और श्रीमती विजया भारती सयानी, महासचिव, श्री भरत लाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

▶ उपस्थित प्रतिभागिगण

न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन ने कहा कि 2015 में इस प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में केवल 40 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई थीं। इसके दसवें वर्ष, 2024 में, देश के विभिन्न भागों से 300 से अधिक प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई। यह दर्शाता है कि मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी है और इस आयोजन ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों में विभिन्न मानव अधिकारों पर विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्में बनाने और लोगों को उनके बारे में जागरूक करने के लिए लोगों को आकर्षित किया है, जिसे जानकर खुशी होती है।

सात पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम ने कहा कि पुरस्कृत फिल्मों ने नदी जल प्रदूषण, पीने योग्य पानी का मूल्य, बाल विवाह और शिक्षा, वृद्ध व्यक्तियों के अधिकार, कुछ धार्मिक प्रथाओं के कारण अधिकारों का उल्लंघन, महिला अधिकार और घरेलू हिंसा सहित कई मानव अधिकार मुद्दों को छुआ है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों की सराहना की और उन्हें मानव अधिकारों का ब्रांड एंबेसडर बताया। उन्होंने आशा जताई कि अगले साल वे मानव अधिकारों पर और अधिक फिल्में बनाएंगे और पुरस्कार जीतेंगे।

इससे पहले, एनएचआरसी, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन षडंगी ने अपने भाषण में कहा कि सभी सातों फिल्मों में अलग-अलग संदेश हैं। उन्होंने कहा कि फिल्में लोगों के बीच मानव अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण करने का एक प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने विशेष रूप से डॉक्यूमेंट्री दूध गंगा पर प्रकाश डाला, जो दर्शाती है कि प्रदूषण ने घाटी के परिदृश्य को कैसे बदल दिया है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

एनएचआरसी, भारत की सदस्या, श्रीमती विजया भारती सयानी ने कहा कि विजेताओं ने रूढ़ियों को

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, सदस्यगण एवं वरिष्ठ अधिकारीगण विभिन्न पुरस्कृत फिल्मों की पोस्टर प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए

चुनौती देने, सामाजिक बाधाओं को तोड़ने और लोगों को सोचने, महसूस करने और कार्य करने के लिए सशक्त बनाने के लिए कहानियों को जीवंत करने के लिए अथक परिश्रम किया है। उन्होंने कहा कि उनका समर्पण सिर्फ फिल्म निर्माण के बारे में नहीं है, बल्कि एक बेहतर दुनिया के लिए समर्थन, साहस और प्रतिबद्धता के बारे में है। उनके द्वारा कैप्चर किया गया हर फ्रेम और दिया गया संदेश एक बड़े उद्देश्य में योगदान देता है, जहां मानवीय गरिमा का सम्मान किया जाता है, आवाज सुनी जाती है और न्याय होता है।

इससे पहले, एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने अपने उद्घाटन भाषण में एनएचआरसी की लघु फिल्म प्रतियोगिता का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। जो 2015 में शुरू हुई थी, प्रत्येक वर्ष गुणवत्ता वाली फिल्मों के साथ प्रविष्टियों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि 2024 में प्रतियोगिता के दसवें संस्करण के लिए कुल 303 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं। प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद, 243 फिल्में पुरस्कार के लिए दौड़ में शामिल हुईं। इनका निर्णय तीन चरण की जूरी प्रक्रिया द्वारा किया गया। अंतिम चरण की अध्यक्षता एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों ने की। वरिष्ठ अधिकारियों ने सात विजेताओं का फैसला किया। उन्होंने कहा कि सभी पुरस्कृत फिल्में पिछले

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायामूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, सदस्यगण न्यायामूर्ति डॉ बिद्युत रंजन षडंगी, श्रीमती विजया भारती सयानी, महासचिव श्री भरत लाल तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, लघु फिल्म प्रतियोगिता के विजेताओं के साथ

वर्षों की तरह आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। ये सरकारी विभागों, प्रशिक्षण और शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ नागरिक समाज द्वारा मानव अधिकार जागरूकता उद्देश्यों के लिए स्क्रीनिंग के लिए खुली हैं।

एनएचआरसी, भारत के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह ने पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की। इंजीनियर अब्दुल रशीद भट की फिल्म गम्य घाटी- वैली डाइ लाइफलाइन की मरती हुई जीवन रेखा' को 2 लाख रुपये का प्रथम पुरस्कार, एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र दिया गया। जम्मू और कश्मीर की यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म इस बात पर चिंता जताती है कि कैसे विभिन्न अपशिष्टों के दूध गंगा नदी के प्राचीन जल में मुक्त प्रवाह ने इसे प्रदूषित किया है और घाटी के लोगों की समग्र भलाई के लिए इसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। यह फिल्म अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में है और इसके उपशीर्षक अंग्रेजी में हैं।

दूसरा पुरस्कार 1.5 लाख रुपये, एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र आंध्र प्रदेश के कदारप्पा राजू की फिल्म 'फाइट फॉर राइट्स' को दिया गया। यह फिल्म बाल विवाह और शिक्षा के मुद्दे को उठाती है। यह तेलुगु भाषा में है और इसके उपशीर्षक अंग्रेजी में हैं।

तीसरा पुरस्कार 1 लाख रुपये, एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र तमिलनाडु के श्री आर. रविचंद्रन की फिल्म 'गॉड' को दिया गया। मूक फिल्म में एक बूढ़े नायक के माध्यम से पीने योग्य पानी के मूल्य को दर्शाया गया है।

चार फिल्मों को 'विशेष उल्लेख का प्रमाण पत्र' और 50,000 रुपये प्रत्येक से सम्मानित किया गया। इनमें शामिल हैं: तेलंगाना के श्री हनीश उंद्रमतला की 'अक्षराभ्यासम'; तमिलनाडु के श्री आर. सेल्वम की 'विलायिला पा अथारी (एक सस्ता स्नातक)'; आंध्र प्रदेश के श्री मदका वेंकट सत्यनारायण की 'लाइफ ऑफ सीता' और आंध्र प्रदेश के श्री लोटला नवीन की 'बी ए ह्यूमन'।

पुरस्कार विजेताओं ने अपनी पुरस्कार विजेता लघु फिल्मों के बनने के पीछे के विचार भी साझा किए। इस अवसर पर एनएचआरसी, भारत द्वारा पुरस्कृत फिल्मों की एक पोस्टर प्रदर्शनी भी लगाई गई।

# अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एनएचआरसी, भारत

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत वैश्विक मंच पर सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभा रहा है, जो मानव अधिकारों के क्षेत्र में विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने वाले अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों और संवादों की एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल है। आयोग अक्सर विदेशी प्रतिनिधियों की मेजबानी करता है जो मानव अधिकारों की सुरक्षा में इसके कार्य तंत्र को समझने के लिए उत्सुक हैं, जबकि इसके अध्यक्ष, सदस्य, महासचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से वैश्विक मंचों में भारत के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने, अनुभव साझा करने और तेजी से बदलती दुनिया में साझा चुनौतियों पर साथी राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) के साथ सहयोग करने के लिए भाग लेते हैं।

मार्च, 2025 में, भारत के एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामसुब्रमण्यन ने महासचिव श्री भरत लाल के साथ आयोग के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, पैलेस डेस नेशंस में कई उच्च स्तरीय बैठकों में किया। इनमें एनएचआरआई के एशिया प्रशांत मंच (एपीएफ) की वार्षिक बैठकें, ब्यूरो की बैठक और राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के वैश्विक गठबंधन (गनहरी) की महासभा, एनएचआरआई के राष्ट्रमंडल मंच (सीएफएनएचआरआई) और अन्य महत्वपूर्ण बैठकें शामिल थीं।

▶ पैलाइस डैस नेशनस, जिनेवा में एनएचआरआई की एपीएफ बैठक

## क्षेत्रीय सहयोग - एपीएफ

10 मार्च, 2025 को न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन और श्री भरत लाल ने एशिया प्रशांत फोरम की क्षेत्रीय नेटवर्क बैठक में भाग लिया। बैठक का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि फिलीपींस के एनएचआरआई को मान्यता संबंधी उप-समिति (एससीए) में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के वैकल्पिक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया, जिसने मानव अधिकार संस्थाओं को मजबूत बनाने में क्षेत्रीय सहयोग के महत्व को रेखांकित किया।

## गनहरी ब्यूरो

एनएचआरसी प्रतिनिधिमंडल ने गनहरी ब्यूरो की बैठक में भी हिस्सा लिया, जिसमें यूएनडीपी और यूएनएचआरसी के विशेष सदस्यों के रूप में भागीदारी के साथ 16 सदस्य शामिल थे। गनहरी की वित्त समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री भरत लाल ने समिति की वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत की। ब्यूरो के सदस्य न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम भी मौजूद थे, जिन्होंने वैश्विक मानव अधिकार समुदाय के भीतर एनएचआरसी, भारत की सक्रिय नेतृत्वकारी भूमिका की पुष्टि की।

वित्त समिति - जिसमें यूके, मलावी, अल साल्वाडोर और भारत के एनएचआरआई शामिल हैं - ने बजटीय आवंटन, व्यय, परियोजना वित्त पोषण और लेखा परीक्षा परिणामों सहित प्रमुख वित्तीय मामलों की समीक्षा की।

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव तथा गनहरी वित्तीय समिति के अध्यक्ष श्री भरत लाल गनहरी ब्यूरो बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए

# गनहरी महासभा

गनहरी की महासभा 11 मार्च, 2025 को बुलाई गई, जिसमें मसौदा एजेंडा को अपनाना, पिछले निर्णयों की समीक्षा, नए नेतृत्व का चुनाव और वित्तीय विवरणों को मंजूरी जैसे प्रमुख संगठनात्मक मामलों पर ध्यान केंद्रित किया गया। श्री भरत लाल ने वित्त समिति की व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बजट पूर्वानुमान, निधि जुटाना, शुल्क माफी और लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विवरण दिया गया। रिपोर्ट को सभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया।

महासभा में, मोरक्को की राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद की अध्यक्ष सुश्री अमीना बौयाच को गनहरी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि उत्तरी आयरलैंड मानव अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त श्री एलिसन किलपैट्रिक को सचिव नामित किया गया।

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव तथा गनहरी वित्तीय समिति के अध्यक्ष श्री भरत लाल गनहरी महासभा में विस्तरित रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए

# जेंडर समानता पर गनहरी वार्षिक सम्मेलन

12 मार्च, 2025 को, एनएचआरसी भारत प्रतिनिधिमंडल ने गनहरी के वार्षिक सम्मेलन का समापन किया, जिसका विषय था 'महिलाओं और लड़कियों के मानव अधिकार : लैंगिक समानता को बढ़ावा देना - NHRI की भूमिका।' यह कार्यक्रम महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के लिए कानूनी और सामाजिक बाधाओं को दूर करने के लिए अभिनव रणनीतियों का आदान-प्रदान करने और कार्रवाई योग्य दृष्टिकोणों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सक्रिय रूप से योगदान दिया।

▶ जेंडर समानता पर गनहरी के वार्षिक सम्मेलन का दृश्य

# एनएचआरआई का राष्ट्रमंडल मंच (सीएफएनएचआरआई)

13 मार्च, 2025 को एनएचआरसी प्रतिनिधिमंडल ने सीएफएनएचआरआई की वार्षिक आम बैठक में भी भाग लिया। चर्चा 2024 एपिया घोषणा के कार्यान्वयन, सीएफएनएचआरआई (2024-2026) के लिए राष्ट्रमंडल सचिवालय (कॉमसेक) समर्थन और मंच की भविष्य की गतिविधियों के लिए रणनीतिक रोडमैप के बारे में सदस्यों के अपडेट पर केंद्रित थी।

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल सीएफएनएचआरआई की वार्षिक आम बैठक में भाग लेते हुए

# "भारत में मानव अधिकार : अवधारणा एवं विमर्श" पर संगोष्ठी

न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन ने जिनेवा में चल रहे संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के सत्र के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में "भारत में मानव अधिकार : अवधारणा एवं विमर्श" शीर्षक से एक ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया। पूरे तरह भरे सदन में दिए गए इस संबोधन में भारत के लोकतांत्रिक चरित्र, इसके जटिल सामाजिक ताने-बाने और संस्थागत तंत्रों - जैसे एनएचआरसी और राज्य आयोगों - पर प्रकाश डाला गया, जो मानव अधिकारों की रक्षा करते हैं। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत अरिंदम बागची द्वारा संचालित इस सत्र में एक जीवंत प्रश्नोत्तर सत्र शामिल था और इसका समापन एनएचआरआई, राजनयिक मिशनों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों और संयुक्त राष्ट्र के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया। अध्यक्ष के संबोधन का एक अंश इस अंक के पृष्ठ 9-10 पर है।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायामूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन 'भारत में मानव अधिकार पाठ्यक्रम एवं विमर्श' सेमिनार को संबोधित करते हुए, साथ में उपस्थित महासचिव, श्री भरत लाल तथा संयुक्त राष्ट्र मे भारत के स्थाई प्रतिनिधि, श्री अरिंदम बागची एवं बड़ी संख्या में उपस्थित प्रतिभागीगण

# उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें

एनएचआरसी प्रतिनिधिमंडल ने अपनी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी भाग लिया:

- श्री वोल्कर तुर्क, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त के साथ: राजदूत अरिंदम बागची के साथ प्रतिनिधिमंडल ने वैश्विक मानव अधिकार विकास और भारत के चल रहे प्रयासों और प्राथमिकताओं पर चर्चा की।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायामूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन तथा महासचिव, श्री भरत लाल, संयुक्त राष्ट्र में मानव अधिकार उच्चायुक्त, श्री वोलकर टर्क के साथ विचार-विमर्श करते हुए

- दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत सुश्री हेबा हाग्रास के साथ: बैठक में भारत और विश्व स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए चुनौतियों और रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायामूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, महासचिव, श्री भरत लाल तथा संयुक्त राष्ट्र संगठन के लिए भारत के जनसंपर्क राजदूत, श्री अरिंदम बागची, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रतिवेदक सुश्री हिबा हग्रास के साथ विचार-विमर्श करते हुए

- भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कई एनएचआरआई के साथ बैठकें कीं और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान किया, साथ ही एनएचआरसी, भारत के काम को बड़े दर्शकों के साथ साझा किया। प्रतिनिधिमंडल ने वहां मौजूद अन्य विशेषज्ञों और नागरिक समाज संगठनों के साथ भी बातचीत की।

संयुक्त राष्ट्र संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत अरिंदम बागची, उप पीआर राजदूत प्रियंका चौहान और जिनेवा स्थित अन्य वरिष्ठ भारतीय राजनयिकों के साथ विस्तृत चर्चा।

## मान्यता संबंधी उप-समिति (एससीए) के साथ बातचीत

18 मार्च, 2025 को, एनएचआरसी, भारत के प्रतिनिधिमंडल ने आयोग की मान्यता प्रक्रिया के बारे में मान्यता संबंधी उप-समिति के साथ गहन बातचीत की। न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन और श्री भरत लाल के नेतृत्व में, चर्चा ने मानव अधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण करने में उच्चतम अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए एनएचआरसी की प्रतिबद्धता को दर्शाया। वैश्विक मानव अधिकार मंचों, एनएचआरसी के साथ अपने निरंतर जुड़ाव के माध्यम से, भारत देश और विदेश में सम्मान, समानता और न्याय के मूल्यों को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। अंतर्राष्ट्रीय संवादों में आयोग की सक्रिय भागीदारी समावेशी, सहयोगी और अधिकार-आधारित वैश्विक शासन को आकार देने में भारत की आवाज़ को मजबूत करती है।

# जिनेवा में यूएनएचआरसी का 58वां सत्र

24 फरवरी से 4 अप्रैल, 2025 तक जिनेवा में मानव अधिकार परिषद के 58वें नियमित सत्र के दौरान, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने अपने सदस्यों और महासचिव के माध्यम से पर्यावरण, दिव्यांगजनों के अधिकारों और मानव अधिकार संरक्षकों पर विशेष प्रतिवेदकों के साथ संवादात्मक सत्रों में तीन पूर्व-रिकॉर्ड किए गए वीडियो वक्तव्य दिए। उन्होंने एनएचआरसी, भारत के सक्रिय दृष्टिकोण और देश में इन मामलों पर किए जा रहे कार्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी।

## पर्यावरण

14 मार्च, 2025 को एनएचआरसी, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन षडंगी ने कहा कि भारत का संविधान जीवन के मौलिक अधिकारों को प्रदान करता है, जिसमें स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण भी शामिल है। इसलिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत उचित उपाय करके इसकी रक्षा करने के लिए बाध्य है।

उन्होंने कहा कि 2022 में, आयोग ने मानव अधिकारों पर प्रदूषण के प्रभाव को संबोधित करने के लिए एक परामर्शी जारी की। आयोग ने पाँच प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया, अर्थात् प्रदूषण करने वालों को दंडित करना, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना, पारदर्शी पर्यावरण कानून अनुमोदन, लागत प्रभावी प्रदूषण रोकथाम उपायों को बढ़ावा देना और स्थानीय निकायों की क्षमता को मजबूत करना। इसके कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्यों द्वारा प्रयास किए गए हैं।

न्यायमूर्ति षडंगी ने कहा कि सत्यापन योग्य रिकॉर्ड पर, यह देखा गया है कि आयोग द्वारा शिकायतों और स्वतः संज्ञान के आधार पर पर्यावरण क्षरण से संबंधित 8,916 मामले शुरू किए गए हैं। मानव अधिकारों, विशेषकर कमज़ोर आबादी के व्यापक हित में उचित कदम उठाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इसलिए, जीवन के अधिकार के दायरे में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के अधिकार की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की रक्षा के लिए नागरिकों को एक अच्छा वातावरण प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ एनएचआरसी, भारत की सक्रिय भागीदारी है।

▶ एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन षडंगी पर्यावरण पर एक वीडियो वक्तव्य देते हुए

## दिव्यांगजनों के अधिकार

10 मार्च, 2025 को, एनएचआरसी , भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी ने कहा कि दिव्यंगता अधिकारों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता इसके प्रगतिशील कानून, विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में दृढ़ता से परिलक्षित होती है, जो विभिन्न क्षेत्रों में समावेशन को बढ़ावा देता है। यह अधिनियम, UNCRPD के साथ संरेखित है, जो दिव्यन्गता समावेशन के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी ), भारत दिव्यांगजनों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चिंताओं को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की अनुमानित 2.21% आबादी किसी न किसी प्रकार की दिव्यंगता के साथ जी रही है, एनएचआरसी , आरपीडबल्यूडी अधिनियम के निष्पादन की निगरानी करने के अलावा, दिव्यंगता अधिकारों के उल्लंघन की सक्रिय रूप से जाँच भी करता है, सार्वजनिक पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करता है और भेदभाव का सामना करने वालों के लिए न्याय सुनिश्चित करता है।

श्रीमती विजया भारती सयानी ने कहा कि आयोग की वकालत नीतिगत हस्तक्षेप तक फैली हुई है, दिव्यंगता -समावेशी नीतियों को परिष्कृत और

▶ एनएचआरसी, भारत की सदस्या, श्रीमती विजया भारती सयानी विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर वक्तव्य देती हुई

मजबूत करने के लिए सरकार के साथ सहयोग करना। जागरूकता अभियानों और सार्वजनिक जुड़ाव के माध्यम से, एनएचआरसी एक अधिक समावेशी समाज को बढ़ावा देता है। दि दिव्यंगता के मुद्दों पर इसका एक समर्पित कोर ग्रुप है जो विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करता है, जो जीवित अनुभवों को कार्रवाई योग्य नीति सिफारिशों में अनुवाद करता है। व्यक्तिगत शिकायतों की जांच करने से लेकर राष्ट्रीय नीति को आकार देने तक एनएचआरसी का सक्रिय दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि दिव्यांगजनों के अधिकार न केवल कानून में निहित हैं, बल्कि व्यवहार में भी महसूस किए जाते हैं।

## मानव अधिकार संरक्षक

6 मार्च, 2025 को, भारत के एनएचआरसी के महासचिव श्री भरत लाल ने कहा कि भारत मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में मानव अधिकार संरक्षकों (एचआरडी ) द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है। उन्होंने महात्मा गांधी को नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अग्रणी चैंपियन के रूप में रेखांकित किया, जिन्हें एचआरडी के रूप में काम करने वाले लोगों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में अनुसरण किया जाना चाहिए।

भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त मानव अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि भारत धर्म, रंग, लिंग और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के बावजूद इन बुनियादी अधिकारों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। न्यायपालिका और एनएचआरसी , भारत मानव संसाधन विकासकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल, मानव संरक्षको पर वक्तव्य देते हुए

वास्तव में, भारतीय न्यायपालिका में जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा मानव संसाधन विकासकर्ताओं को कार्यवाही शुरू करने में सक्षम बनाती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एनएचआरसी गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज और मानव संसाधन विकासकर्ताओं के साथ मिलकर काम करता है और उनके साथ एक स्थायी साझेदारी रखता है। उन्होंने आगे कहा कि एनएचआरसी, भारत मानव संसाधन विकासकर्ताओं को प्राथमिकता देता है और उनके लिए एक केंद्र बिंदु, उनके मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक कोर ग्रुप और जवाबदेही तय करने के लिए मानव संसाधन विकासकर्ताओं से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए एक मजबूत जांच तंत्र स्थापित किया है। उन्होंने फिर से पुष्टि की कि एनएचआरसी , भारत मानव अधिकारों की रक्षा के लिए मानव संसाधन विकासकर्ताओं के प्रयासों में उनके साथ खड़ा है।

# जिनेवा में उच्च स्तरीय नीति वार्ता में महासचिव का संबोधन

26 मार्च, 2025 को, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने जिनेवा में इंडिया वाटर फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'घटते ग्लेशियरों की रक्षा के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देना' विषय पर उच्च स्तरीय नीति वार्ता में मुख्य भाषण दिया। श्री लाल ने इस बात पर जोर दिया कि पानी की उपलब्धता न केवल एक आवश्यकता है, बल्कि एक मौलिक मानव अधिकार है। जल सुरक्षा सुनिश्चित करना सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कमी सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा डालती है, आजीविका को बाधित करती है और भू-राजनीतिक तनाव को बढ़ाती है।

उन्होंने आगे बताया कि वैश्विक स्तर पर दो अरब से अधिक लोग ग्लेशियर से प्राप्त जल स्रोतों पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया में, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियाँ हिमालय के ग्लेशियरों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। हालांकि, बढ़ते तापमान के कारण ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं,

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल 'घटते ग्लेशियरों की रक्षा के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देना विषय पर उच्च स्तरीय वार्ता में मुख्य भाषण देते हुए

जिससे पहले बाढ़ आ रही है और फिर भयंकर सूखा पड़ रहा है। इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने वनों और कार्बन सिंक को संरक्षित करने सहित अपने प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए भारत के सक्रिय प्रयासों पर प्रकाश डाला, साथ ही पानी समितियों और जल प्रबंधन समितियों जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को शामिल किया।

उन्होंने उल्लेख किया कि जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए लोगों द्वारा संचालित कार्रवाई महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारे ग्लेशियरों को बचाने की कुंजी सामूहिक कार्रवाई, अभिनव वित्तपोषण और क्षेत्रीय सहयोग में निहित है। हमें अपने ग्रह के सबसे महत्वपूर्ण जल स्रोतों की रक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभाव का सामना कर रही है, तो हमारे ग्लेशियरों और जल संसाधनों के संरक्षण के लिए एकजुट होने का समय आ गया है। जल सुरक्षा केवल एक स्थानीय मुद्दा नहीं है, यह एक वैश्विक जिम्मेदारी है।

# एनएचआरसी, भारत में प्रतिनिधिमंडल का दौरा

26 मार्च, 2025 को भारत में डेनमार्क के राजदूत महामहिम रासमस अबिल्डगार्ड क्रिस्टेंसन ने एनएचआरसी, भारत का शिष्टाचार दौरा किया और अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन और

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायामूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, महासचिव एवं श्री भरत लाल, रासमस एबिल्डगार्ड क्रिस्टेंसन, भारत में डेनमार्क के अतिथि राजदूत के साथ विचार-विमर्श करते हुए

महासचिव श्री भरत लाल के साथ एक व्यावहारिक चर्चा की। राजदूत क्रिस्टेंसन, जिन्होंने डेनमार्क के मानव अधिकार संस्थान से अपना पेशेवर करियर शुरू किया था, ने चर्चा में मूल्यवान दृष्टिकोण साझा किया। उनकी चर्चा में साझा हितों के कई विषय शामिल थे, विशेष रूप से भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी - एक ऐतिहासिक सहयोग जिसका उद्देश्य सतत विकास, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देना है। चूंकि दोनों देश मानव अधिकारों के क्षेत्र में तुलनीय उभरती चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इसलिए चर्चा में आपसी सीखने और अनुभवों के आदान-प्रदान के अवसरों का पता लगाने की कोशिश की गई।

# राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार

मानव जीवन के निरंतर बढ़ते आयामों और संबंधित चुनौतियों को देखते हुए मानव अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण हमेशा एक प्रगतिशील कार्य है। भारत में, लोगों के बुनियादी अधिकारों का संरक्षण करके उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक रूप से प्रतिबद्ध लोकतांत्रिक रूप से चुनी गयी सरकारों के अलावा, विधायिका, न्यायपालिका, एक जीवंत मीडिया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) जैसी संस्थाएँ हैं, साथ ही अन्य राष्ट्रीय आयोग और उनके राज्य समकक्ष समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और मुद्दों के प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। इस कॉलम का उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए एसएचआरसी द्वारा की गई असाधारण गतिविधियों को उजागर करना है।

## हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग

मार्च, 2025 के महीने में, हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग (एचएसएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने करनाल में श्रद्धानंद चाइल्ड केयर होम का दौरा किया। उन्होंने पाया कि होम साफ-सुथरा, अच्छी तरह से सुव्यवस्थित था, जिसमें उत्कृष्ट बोर्डिंग सुविधाएँ थीं। इसमें अकादमिक रूप से उनकी सहायता करने वाले समर्पित शिक्षक, परामर्श के लिए मनोवैज्ञानिक और एक योग ध्यान हॉल भी है।

इसके अलावा, एचएसएचआरसी ने मानव अधिकार उल्लंघन के चार मामलों में स्वतः संज्ञान लिया। इनमें शामिल हैं: शिवालिक कॉलोनी, अंबाला शहर में सार्वजनिक पार्कों की उपेक्षा; जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में रैगिंग की घटनाएँ; अंबाला में खराब जल निकासी; और ग्रीन श्मशान घाटों को अपनाना।

## पंजाब राज्य और चंडीगढ़ (UT) मानव अधिकार आयोग

मार्च, 2025 में, न्यायमूर्ति संत प्रकाश, अध्यक्ष, पंजाब राज्य और चंडीगढ़ (UT) मानव अधिकार आयोग (PS&C SHRC), चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में नारी निकेतन और दृष्टिहीन संस्थान का निरीक्षण करने गए। उन्होंने निवासियों से महिला सशक्तिकरण, कानूनी सहायता और उनके लिए सम्मान, सुरक्षा और अवसरों के महत्व के बारे में चर्चा की। दृष्टिहीनों के लिए संस्थान में, उन्होंने दृष्टिबाधित छात्रों के साथ बातचीत की और समावेशी शिक्षा और भिन्न-भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए समान अवसरों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों के लिए न्याय, सम्मान और समानता सुनिश्चित करने में सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

▶ पीएसएचआरसी के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति संत प्रकाश चंडीगढ़ के नारी निकेतन के निवासियों के साथ बातचीत करते हुए

एसएचआरसी ने चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा संस्थान पर 33,00,000 रुपये का संपत्ति कर लगाने का भी स्वतः संज्ञान लिया है, जो वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है और इस मुद्दे को नीतिगत स्तर पर संबोधित करने के लिए चंडीगढ़ के मुख्य सचिव और पंजाब के राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है।

## कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग

मार्च, 2025 में, कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग (केएसएचआरसी) ने मंगलुरु जेल में संदिग्ध खाद्य विषाक्तता की घटना की जांच की, जिसके परिणामस्वरूप एक कैदी की मौत हो गई और 57 अन्य बीमार हो गए।

27 मार्च, 2025 को, केएसएचआरसी ने चित्रदुर्ग जिले का दौरा किया और वरिष्ठ अधिकारियों और शिकायतकर्ताओं की उपस्थिति में मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों की खुली सुनवाई की। 15 मामलों का समाधान किया गया और 10 नई शिकायतें प्राप्त हुईं। खुली सुनवाई के अलावा, केएसएचआरसी ने मानव अधिकारों और संबंधित मुद्दों पर उनकी संवेदनशीलता के लिए उप आयुक्त श्री टी. वेंकटेश, पुलिस अधीक्षक और जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित 350 से अधिक जिला-स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया। केएसएचआरसी ने चित्रदुर्ग जिले में जिला जेल, बस स्टैंड, सरकारी छात्रावास और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का भी दौरा किया।

केएसएचआरसी ने मार्च, 2025 के महीने के दौरान 380 से अधिक मामलों का निपटारा किया और पुलकेशी नगर पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु के दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच के अलावा अवैध हिरासत के एक पीड़ित को राहत के रूप में 1 लाख रुपये के भुगतान की संस्तुति की।

▶ कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिकारीगण चित्रदुर्ग, कर्नाटक में मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जन सुनवाई करते हुए

# संक्षेप में समाचार

3 मार्च, 2025 को, एनएचआरसी, भारत की सदस्या, श्रीमती विजया भारती सयानी ने मुख्य अतिथि के रूप में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के उंगुटुरु में निवेदिता गुरुकुलम के पहले वार्षिक समारोह का समापन किया। इस कार्यक्रम में लगभग 500 लोगों ने भाग लिया। उन्होंने भारत में छात्रों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा में एनएचआरसी की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने छात्रावासों और संस्थानों में चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला।

4 मार्च, 2025 को, एनएचआरसी, भारत के सदस्य, श्री प्रियंक कानूनगो ने शंकर नगर, परतापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम का समापन किया।

5 से 7 मार्च, 2025 तक, एनएचआरसी, भारत के सदस्य, श्री प्रियंक कानूनगो ने गुवाहाटी, असम का दौरा किया, जहाँ उन्होंने पानीखैती, गुवाहाटी में 'मानव अधिकार और विकासशील भारत के लिए नागरिकों की भूमिका' पर जागरूकता कार्यक्रम के समापन सत्र सम्पन्न किया। वे गुवाहाटी में एक अन्य मानव अधिकार जागरूकता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी थे।

5 से 9 मार्च, 2025 तक, एनएचआरसी, भारत के महानिदेशक (अन्वेषण), श्री आर प्रसाद मीना ने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों के साथ चर्चा के लिए जयपुर, राजस्थान का दौरा किया।

5 मार्च, 2025 को, एनएचआरसी के अन्वेषण प्रभाग की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती इलक्किया करुणागरन ने दिल्ली पुलिस अकादमी (डीपीए), राजिंदर नगर, नई दिल्ली के विशेष प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) में कांस्टेबलों और सहायक उप निरीक्षकों के लिए मानव अधिकारों पर एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान व्याख्यान दिया।

6 मार्च, 2025 को, एनएचआरसी, भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एयू इंजीनियरिंग कॉलेज के वाईवीएस मूर्ति ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संबंध में आयोजित कार्यशाला 'एक्सीलरेट एक्शन' में मुख्य अतिथि थीं। दुर्गा बाई देशमुख केंद्र, एबीआरएसएम और लेडी टीचर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने शिक्षा, माता-पिता के मार्गदर्शन और अपने कौशल को जानने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार, कानूनी सुरक्षा और अधिकारों को जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। युवाओं को आदर्श बनने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने उनसे स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर सीखते रहने, मानव अधिकारों की रक्षा करने तथा उज्ज्वल भविष्य की दिशा में काम करने का आग्रह किया।

8 मार्च, 2025 को, एनएचआरसी, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए एक समारोह का आयोजन किया। अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामसुब्रमण्यम, सदस्य, (डॉ) न्यायमूर्ति बिद्युत रंजन षडंगी और श्रीमती विजया भारती सयानी ने समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित किया। उन्होंने कई ऐतिहासिक और समकालीन महिलाओं के उदाहरण दिए, जिन्होंने अपने संघर्षों और प्रयासों के माध्यम से लोगों के जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया और उनसे प्रेरणा ली। देश में महिला सशक्तीकरण के प्रयासों की सराहना करते हुए, न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम ने कहा कि भारत में, महिलाएँ कई क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका में हैं, जो दर्शाता है कि आत्मनिर्णय चुनौतियों को दूर करने और जीवन में सफल होने के लिए एक प्रेरक शक्ति हो सकती है। आयोग की महिला अधिकारियों, जिनमें डीआईजी, श्रीमती किम और एसएसपी, श्रीमती इलक्किया करुणागरन शामिल थीं, ने भी सभा को संबोधित किया।

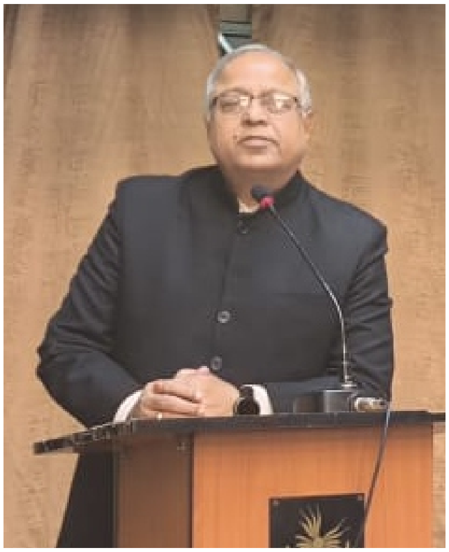

8 मार्च, 2025 को, एनएचआरसी, भारत की सदस्या, श्रीमती विजया भारती सयानी ने रवींद्र नाट्य गृह, इंदौर, मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पंचकन्या कल्याण फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'पंचकन्या - भारतीय नारीत्व की कहानी' नामक एक कार्यक्रम में चर्चा के लिए विशेष अतिथि और पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।

10 मार्च, 2025 को एनएचआरसी, भारत के सदस्य, श्री प्रियांक कानूनगो ने घनैया लॉ कॉलेज, मोगा, पंजाब में 'मानव अधिकारों की चुनौतियां और उन्हें सुरक्षित रखने में कानूनी पेशेवरों की भूमिका' विषय पर एक कार्यक्रम का समापन किया।

11 मार्च, 2025 को एनएचआरसी, भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जयाप्रदा फाउंडेशन द्वारा आयोजित महिला शक्ति सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत में कई महिलाओं का इतिहास रहा है जिन्होंने अपने नेतृत्व से इतिहास को आकार देने में चुनौतियों का सामना किया है। वे न्याय आधारित शासन के लिए काम करने, समाज के समग्र विकास के लिए धार्मिकता के हमारे सांस्कृतिक और सभ्यतागत लोकाचार की रक्षा करने के लिए प्रेरणा हैं। सदस्य ने कहा कि अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से, सरकार ने राष्ट्र निर्माण के लिए महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। लगभग 150 प्रतिभागियों ने सम्मेलन में भाग लिया।

12 मार्च, 2025 को एनएचआरसी, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने तेलंगाना में वैदेवी सेवा समिति, कृष्णा नगर, सैदाबाद, हैदराबाद द्वारा आयोजित 'लड़कियों के मानव अधिकार और बाल अधिकार' कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।

17 मार्च, 2025 को एनएचआरसी, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने कर्नाटक के कोडागु विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित 'कौशल का अधिकार और रोजगार का अधिकार: सभी के लिए कौशल, सभी के लिए रोजगार- अंतराल को पाटना, भविष्य का निर्माण' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कौशल का अधिकार और रोजगार का अधिकार केवल नीतिगत चिंताएँ नहीं हैं, बल्कि मौलिक मानव अधिकार चिंताएँ हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत एक अनोखे चौराहे पर है। हमारी 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, इसलिए हमारे पास एक अद्वितीय जनसांख्यिकीय लाभ है। मानव पूंजी का यह विशाल भंडार हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है यदि हम अपने युवाओं को उभरते हुए नौकरी बाजार की माँगों को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करें। यह स्वीकार करते हुए कि कौशल विकास और उचित रोजगार के अवसरों तक पहुँच मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, सदस्य ने एनएचआरसी, उचित वेतन, सुरक्षित कार्य स्थितियों और सामाजिक सुरक्षा, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों, महिलाओं और प्रवासी श्रमिकों के लिए वकालत करने में भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला। लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

17 मार्च, 2025 को, एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन षडंगी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में शिक्षा 'ओ' अनुसंधान द्वारा आयोजित 9वें वार्षिक समारोह- जस्टिसिया 3.0 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।

विश्व जल दिवस की पूर्व संध्या पर यानी 21 मार्च, 2025 को, महासचिव श्री भरत लाल ने TERI के चौथे जल स्थिरता पुरस्कार 2024-25 में 'ग्लेशियर संरक्षण और सतत जल प्रबंधन' पर मुख्य भाषण दिया, जिसमें पानी को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में महत्व दिया गया। मुख्य भाषण देते हुए, महासचिव श्री भरत लाल ने ग्लेशियरों को संरक्षित करने और देश भर में स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं को सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने ग्लेशियरों पर जलवायु परिवर्तन-विशेष रूप से बढ़ते वैश्विक तापमान-के गहन प्रभावों पर विस्तार से बात की।

श्री लाल ने इस बात पर जोर दिया कि ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से किस तरह अल्पकालिक बाढ़ आती है और अंततः जल प्रवाह में कमी के कारण दीर्घकालिक सूखा पड़ता है, जिससे आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र बुरी तरह प्रभावित होते हैं। भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए, श्री लाल ने हिमालय के ग्लेशियरों का उल्लेख किया, जिन्हें अक्सर 'तीसरा ध्रुव' कहा जाता है, जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र सहित प्रमुख नदी घाटियों को पानी देने वाली महत्वपूर्ण जीवनरेखा हैं। ये ग्लेशियर पूरे क्षेत्र में 2 बिलियन से अधिक लोगों की पानी की जरूरतों को पूरा करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ग्लेशियर का संरक्षण न केवल एक पर्यावरणीय आवश्यकता है, बल्कि यह मानवीय और विकास संबंधी अनिवार्यता भी है।

श्री लाल ने जलवायु परिवर्तन को कम करने और ग्लेशियर प्रणालियों की रक्षा करने में वन संरक्षण की भूमिका पर ध्यान आकर्षित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के महत्व को नोट किया, जो इस अवधि के साथ मेल खाता है। उन्होंने टिप्पणी की, "वन और ग्लेशियर आपस में जुड़े हुए पारिस्थितिकी तंत्र हैं, और उनका संरक्षण जल-सुरक्षित भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।" जल क्षेत्र में चुनौतियों जैसे भूजल में कमी, सतही जल प्रदूषण, अपर्याप्त उपयोग और असमान वितरण पर प्रकाश डालते हुए, श्री लाल ने बताया कि भूजल के असीमित संसाधन होने की पहले की धारणाएँ गलत साबित हो चुकी हैं। ग्लेशियरों के पीछे हटने और पानी की कमी के मंडराने के साथ, उन्होंने तत्काल और एकीकृत कार्रवाई का आह्वान किया। उन्होंने जल प्रशासन को मजबूत करने और स्वच्छ और पर्याप्त पानी तक पहुँच में सुधार करने के उद्देश्य से एकीकृत जल मंत्रालय, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान और अटल भूजल योजना के निर्माण सहित सरकारी पहलों की सराहना की। श्री लाल ने कहा कि हिमाचल में पारंपरिक जल संचयन, नेपाल में ग्लेशियर की निगरानी और लद्दाख में बर्फ के स्तूप जैसे समुदाय-संचालित प्रयास आगे का रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने जल-सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया।

20 मार्च, 2025 को, एनएचआरसी, भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी, बठिंडा में पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 'प्रकृति, आस्था, जलवायु परिवर्तन और मानव अधिकार ' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र में मुख्य अतिथि थीं। उन्होंने कहा कि मानव जीवन और प्रकृति के बीच का संबंध अविभाज्य है। हमारा जीवन, सुरक्षा, भोजन और अस्तित्व सभी प्रकृति से गहराई से जुड़े हुए हैं। हमें प्रकृति का पोषण करना चाहिए और उसका शोषण नहीं करना चाहिए। 1970 का चिपको आंदोलन इस जिम्मेदारी का एक शक्तिशाली अनुस्मारक था। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रहने का अधिकार केवल एक विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार माना है कि पर्यावरण संरक्षण और मानव अधिकार  आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि एनएचआरसी  पर्यावरण संबंधी चिंताओं को मानव अधिकार  ढांचे के भीतर एकीकृत करने में सबसे आगे रहा है, स्वस्थ पर्यावरण और मौलिक अधिकारों के संरक्षण के बीच महत्वपूर्ण संबंध पर जोर देता है। सदस्य ने कहा कि पृथ्वी सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रदान करती है, लेकिन सभी के लालच को पूरा नहीं करती है। हमें प्रकृति के प्रति अपनी प्राचीन श्रद्धा को अपनाना होगा तथा सभी के लिए न्यायपूर्ण, सतत और समतापूर्ण भविष्य सुनिश्चित करने के लिए इसे आधुनिक पर्यावरण शासन के साथ एकीकृत करना होगा।

विश्व जल दिवस यानी 21 मार्च, 2025 को, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने अर्थ आवर 2025 के उपलक्ष्य में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य भाषण दिया। उन्होंने जल संरक्षण और हमारे ग्रह के संसाधनों की रक्षा के लिए सामूहिक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। अपने भाषण में, श्री लाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पानी सीमित है और जीवन के लिए आवश्यक है। भारत की जनसंख्या 1951 में 37 करोड़ से बढ़कर 2025 में 144 करोड़ हो जाने के साथ, आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं के कारण पानी की मांग में वृद्धि जारी है। भारत में प्रति व्यक्ति मीठे पानी की उपलब्धता 1951 में 5,100 क्यूबिक मीटर से घटकर आज 1,400 क्यूबिक मीटर हो गई है, जिससे देश जल-तनावग्रस्त श्रेणी में आ गया है।

उन्होंने आगे बताया कि सतही जल प्रदूषण, अकुशल उपयोग और असमान वितरण ने जल संकट को और बढ़ा दिया है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के पिघलने से लगभग 2 अरब लोगों के लिए पानी की कमी का खतरा पैदा हो रहा है। श्री लाल ने इस गंभीर मुद्दे को हल करने और दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। सालाना केवल 15-25 अनियमित बारिश के दिनों के साथ, बड़े पैमाने पर जल भंडारण और कुशल उपयोग महत्वपूर्ण हैं; वर्षा जल संचयन और जलभृत पुनर्भरण महत्वपूर्ण हैं; ग्लेशियरों की रक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन शमन आवश्यक है। स्वच्छ जल तक पहुंच को एनएचआरसी द्वारा एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में संरक्षित किया गया है।

श्री लाल ने गुजरात की परिवर्तनकारी कहानी साझा की, जहाँ रणनीतिक जल प्रबंधन ने कमी को बहुतायत में बदल दिया है। जल सुरक्षा और विकास का यह मॉडल भारत भर के अन्य क्षेत्रों के लिए प्रेरणादायी है। इस कार्यक्रम में जल संरक्षण के असाधारण प्रयासों के लिए जल नायकों को भी सम्मानित किया गया। उनकी प्रेरक कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि सामुदायिक कार्रवाई और जल शक्ति अभियान, जल जीवन मिशन, नमामि गंगे जैसी राष्ट्रीय पहल जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

23 मार्च, 2025 को एनएचआरसी, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन सारंगी ने बिहार के गया में बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बीआईपीएआरडी) द्वारा आयोजित 'राज्य आयोगों और न्यायाधिकरणों के समक्ष आने वाली समस्याओं और चुनौतियों' पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया।

28 मार्च, 2025 को एनएचआरसी, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी, नई दिल्ली के मालवीय स्मृति भवन में नीति संवाद द्वारा आयोजित 'भविष्य का वित्तपोषण: जनजातीय कल्याण और समावेशी विकास के लिए सार्वजनिक नीति और वित्त' पर एक दिवसीय कार्यशाला की मुख्य अतिथि थीं।

## आगामी कार्यक्रम

| | |
|---|---|
| **13 - 23 मई, 2025** | आयोग विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के लिए दो सप्ताह की ऑनलाइन लघु-अवधि इंटर्नशिप का आयोजन करेगा |

## मार्च, 2025 में शिकायतें

| | |
|---|---|
| प्राप्त नई शिकायतों की संख्या | 3,772 |
| पुराने मामलों सहित निपटाए गए मामलों की संख्या | 2,622 |
| आयोग के विचाराधीन मामलों की संख्या | 10,621 |

# ख़बरों में मानव अधिकार एवं एनएचआरसी

सर्वे
भवन्तु सुखिनः

## राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

**शिकायत दर्ज करने के लिए एनएचआरसी के महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर**
**टोल फ्री नंबर:** 14433 (सुविधा केंद्र) फैक्स नंबर: 011-2465 1332
**ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए:** www.nhrc.nic.in, hrcnet.nic.in,
**सामान्य सेवा केंद्र ईमेल:** complaint.nhrc@nic.in (शिकायतों के लिए), cr.nhrc@nic.in (सामान्य प्रश्नों/पत्राचार के लिए)

**मानव अधिकार संरक्षकों के लिए फोकल पॉइंट:**
इंद्रजीत कुमार, उप रजिस्ट्रार (विधि)
मोबाइल नंबर +91 99993 93570 • फैक्स नंबर 011-2465 1334 • ई-मेल: hrd-nhrc@nic.in

**प्रकाशक एवं मुद्रक: महासचिव, एनएचआरसी**
विबा प्रेस प्राइवेट लिमिटेड में मुद्रित। सी-66/3, ओखला इंडस्ट्रीयल। क्षेत्र, चरण- II, नई दिल्ली-110020 और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से प्रकाशित
मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023
हिंदी संस्करण : अनूदित : हिंदी अनुभाग : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

covdnhrc@nic.in www.nhrc.nic.in @India_NHRC

RNI No. 61957/95